मध्यप्रदेश पंचायिका

नवम्बर 2014

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
सुरेश तिवारी

परामर्श
शिवानी वर्मा
देवेन्द्र जोशी

सम्पादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

शिक्षा के विकास में सड़कें

- **संपर्क :** सुदूर गाँवों तक विकास की राहें 3
- **आलेख-विशेष :** भोपाल से चौपाल तक बारहमासी सड़कें 4
- **योजना :** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 6
- **ई-गवर्नेंस :** सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बेहतर सड़कें 11
- **पर्यावरण संरक्षण :** कचरा पॉलीथिन से बनी पर्यावरण मित्र सड़कें 14
- **योजना :** समृद्धि के रास्तों से जुड़ते गाँव 16
- **प्रयास :** सुदूर अंचलों में बन रही हैं सड़कें 25
- **योजना :** गाँव के भीतर पक्का रास्ता - पंच परमेश्वर योजना 26
- **नवाचार :** मध्यप्रदेश की नई पहल - सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना 32
- **खास खबरें :** समग्र पोर्टल के जरिये 5.11 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना... 34
- **आजीविका :** देश के सभी राज्यों में लागू होगी बैंक मित्र योजना 40
- **आयोजन :** मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश को समृद्ध बनाने में सर्वश्रेष्ठ योगदान का... 42
- **प्रयास :** अपने हाथों अपना विकास 44
- **सम्मान :** स्कूल शिक्षा के समग्र पोर्टल को भी मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड 46
- **पंचायत गजट :** परफॉरमेंस ग्रांट राशि से बनेगी पंच परमेश्वर योजना की सड़कें 47

प्रिय पाठको,

मध्यप्रदेश में सड़कों ने विकास को नई चमक प्रदान की है। सरकार की अधोसंरचना विकास की प्राथमिकता ने प्रदेश विकास को चमकदार बनाया है। आज प्रदेश विकास दर की डबल डिजिटल 15.08 प्रतिशत उपलब्धि प्रदेश में किये गये निरन्तर प्रयासों का परिणाम है। सुनियोजित नीति निर्माण और मध्यप्रदेश में सुदूर संपर्कविहीन इलाकों से संपर्क और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किये गये प्रयत्नों से सुदूर गाँवों तक विकास की राहों की पहुंच स्थापित हुई है। प्रदेश की राजधानी से लेकर गाँव-गाँव, चौपाल-चौपाल तक बारहमासी सड़कें बनायी गयीं। प्रदेश में सड़क निर्माण के इस सफर को हमने विशेष आलेख में प्रकाशित किया है।

बारहमासी पक्की सड़कों का जाल बिछाने के उद्देश्य से बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। इस जानकारी को हमने योजना स्तंभ में शामिल किया है। विकास से जोड़ते पुलों के निर्माण, मार्गों के रख-रखाव की जानकारी इसी स्तंभ में समाहित है। योजना में ही मध्यप्रदेश में नई तकनीकों से बनी सड़कें, सड़कों की गुणवत्ता की जाँच भी शामिल है। मध्यप्रदेश सड़क निर्माण के कार्यों और प्रबंधन में ई-गवर्नेंस के उपयोग में सबसे आगे है। आई-जियो एप्रोच व ई-मार्ग प्रणाली से सड़कों के निर्माण से लेकर निगरानी की अभिनव पहल को हमने ई-गवर्नेंस स्तंभ में शामिल किया है। मध्यप्रदेश में कचरा पॉलीथिन व अन्य तकनीकों को शामिल कर पर्यावरण मित्र सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसे हम पर्यावरण संरक्षण स्तंभ में प्रकाशित कर रहे हैं।

सुदूर ग्राम अंचल में जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण संभव नहीं है वहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किये गये प्रयास और परिणामों को हमने योजना स्तंभ में लिया है। इसी स्तंभ में आगे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तकनीकी पक्ष को भी प्रकाशित किया गया है। नक्सल प्रभावी जिलों के विकास के लिए प्रदेश में एकीकृत कार्ययोजना अंतर्गत कार्य किये जा रहे हैं। इन सुदूर अंचलों में बनती सड़कों की जानकारी भी शामिल है।

मध्यप्रदेश में सुदूर अंचलों तक बारहमासी सड़कों के इंतजाम के साथ-साथ अब हर गाँव में आंतरिक मार्गों को सीमेंट कांक्रीट वाले पक्के रास्तों के रूप में पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है। इसे हमने योजना स्तंभ में शामिल किया है। इसी के साथ है पंचायत राज मंत्रालय की बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना। मध्यप्रदेश की नई पहल सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना को हमने नवाचार स्तंभ में शामिल किया है। इस बार खास खबरों में है समग्र पोर्टल के जरिये 5.11 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। आयोजन में शामिल है मध्यप्रदेश स्थापना दिवस का उत्सव। पंचायत गजट में परफॉरमेंस ग्रांट राशि से बनेगी पंच परमेश्वर योजना की सड़कें और पंचायत सचिवों के महंगाई भत्ते में सात फीसदी की वृद्धि की जानकारी प्रकाशित की गयी है। मध्यप्रदेश के विकास के आधार सड़क सम्पर्क का यह अंक आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया अवश्य भेजें।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

सुदूर गाँवों तक विकास की राहें

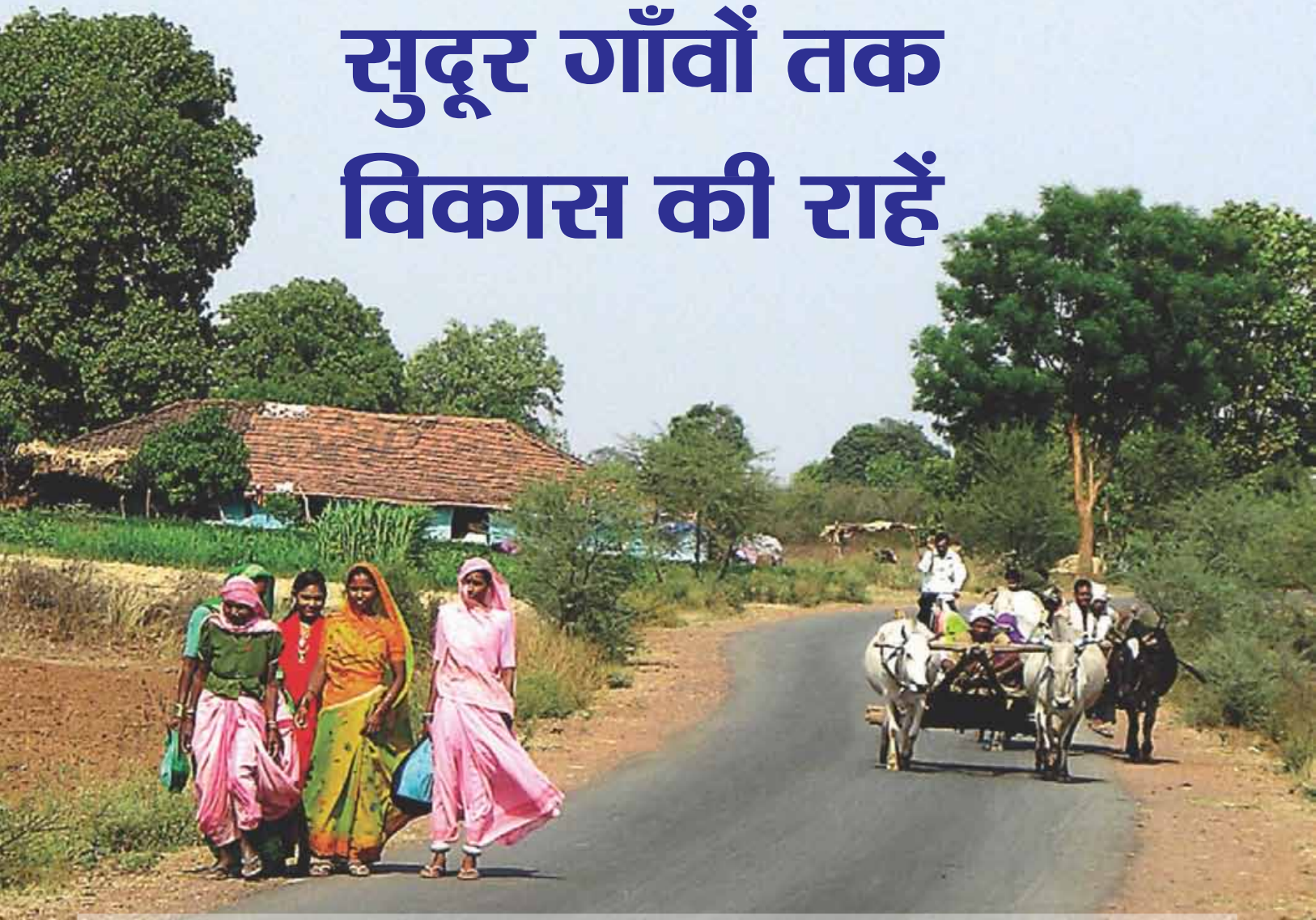

विकास के लिए आवश्यक माध्यम है संपर्क। मध्यप्रदेश में विकास पथ पर अभूतपूर्व कार्य किया गया। सरकार की प्राथमिकता है अधोसंरचना विकास। विविधता भरे मध्यप्रदेश में सुदूर संपर्कविहीन इलाकों का विकास बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। ऐसी कठिन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिये यह जरूरी था कि सुदूर अंचलों तक सबसे पहले संपर्क सुविधाओं की व्यवस्था प्राथमिकता से सुनिश्चित हो। इसी उद्देश्य से सुदूर अंचलों तक त्रिस्तरीय संपर्क सुविधायें उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई। इसमें सड़क संपर्क सुविधा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय संस्थाओं और साधनों का इंतजाम शामिल है। इस पहल से प्रदेश की सभी 23006 ग्राम पंचायतों और 53000 से अधिक ग्रामों तक अब विकास का नया सफर तेजी से शुरू हो चुका है। दूरदराज गाँवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिये बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। अब ग्रामीण अंचलों में वर्ष भर किसी भी मौसम में आवागमन आसान हो चुका है। संपर्कविहीन गाँवों की तरक्की के लिए राज्य में पहुँच और बारहमासी सड़कों का निर्माण तेज गति से हो रहा है। पहुँचविहीन और दुर्गम इलाकों के गाँवों के लिए पहुँच मार्गों के निर्माण से अब वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सभी गाँवों में स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिए आंतरिक मार्ग और नालियों का निर्माण प्राथमिकता से हो रहा है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, मंडी बोर्ड, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग तथा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

भोपाल से चौपाल तक बारहमासी सड़कें

आज पूरी दुनिया में प्रगति की स्पर्धा है। यह स्पर्धा व्यक्तिगत भी है, सामूहिक भी और राष्ट्रीय भी। इस स्पर्धा में सफलता की पहली शर्त गति हो गई है। दुनिया तेजी से दौड़ रही है। वह व्यक्ति, देश या प्रदेश उन्नति के कीर्तिमान रच ही नहीं सकता जो स्पर्धा के अनुकूल तीव्रतर गति में न दौड़ रहा हो। लेकिन इस दौड़ की दिशा और धरातल सही होना चाहिए। योजना सही हो, सकारात्मक, मार्ग यथेष्ठ हो तो ही लक्ष्य पर जा सकेंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश के नागरिक समरस बनें, सकारात्मक सोचें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और बारहमासी पक्की सड़कों पर चलें यह उनकी योजना का मूल ध्येय है।

इसके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, साफ-सुथरे मोहल्ले, रोजगार के अवसर, संस्कारित जीवन, अनुशासित दिनचर्या तो हो ही और इसके साथ चलने के लिए सुगम सड़कें भी होनी चाहिये। मार्गों की सुगमता आधुनिक विकास का आधार है। यदि देश के हृदय प्रांत इस मध्यप्रदेश को उन्नत प्रांतों की अग्र पंक्ति में स्थान पाना है तो मार्गों को सुगम बनाना ही होगा। ऐसी सड़कें जो केवल राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय मार्गों तक ही सीमित न रहें बल्कि उनका जाल गांवों तक, कस्बों तक, खेतों और खलियानों तक भी होना चाहिए। गांवों को नगरों से जोड़ने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की और इन सड़कों को खेतों से जोड़ने का संकल्प मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। दोनों ही स्तरों पर समानान्तर और द्रुतगामी कामों का नतीजा है कि अब मध्यप्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में नहीं होती वह विकास की स्पर्धा में तेज दौड़ने लगा है। पिछले तीन सालों में वह कृषि उत्पादन करने वाले प्रांतों में अग्रसर बना है और खेती को लाभ का धंधा बनाने का परिश्रम कर रहा है। किसानों को उनके कृषि उत्पाद और वनवासियों को वनोपज का बेहतर मूल्य तभी तो मिलेगा जब यह उपज कम से कम समय में महानगरों की मंडियों में आ सके और इसके लिये ऐसे श्रेष्ठतम मार्गों की जरूरत है जो खेत से सीधे महानगरों की मंडियों तक फर्राटा भरकर आ सकें। यह प्रसन्नता की बात है कि मार्गों को सुगम बनाने का काम इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार ने इसका संकल्प सत्ता संभालने के साथ ही व्यक्त किया था और आज तक वह इस पर चल रही है। मार्गों को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिये यह सरकार कितनी प्रयत्नशील है इसकी झलक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उस घोषणा से मिलती है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधारने का पैसा केन्द्र से नहीं आयेगा तो राज्य सरकार अपने पैसे से उन मार्गों में पेचवर्क करेगी। और वाकई मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसा किया भी। यह बात उन दिनों की है जब राष्ट्रीय राज्य मार्गों को सुधारने के लिये केन्द्र सरकार से आने वाला पैसा रुक गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उस पैसे को रिलीज कराने के लिये पहले दिल्ली का दरवाजा खटखटाया प्रधानमंत्री और सड़क मंत्री को ज्ञापन सौंपा, फिर ध्यान आकर्षित करने के लिये महात्मा गांधी का मार्ग अपनाया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सांकेतिक उपवास किया और फिर अपने खजाने से उन मार्गों को सुधारने का आदेश दिया। इसमें मुम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, जबलपुर-जयपुर एवं नागपुर राष्ट्रीय मार्गों का जितना हिस्सा मध्यप्रदेश में था उसमें सुधार कार्य हुआ, गड्ढे भरे गए उनमें यातायात को सुगम बनाया गया।

प्रदेश के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए मार्ग नहीं होंगे तो इन स्थानों में न आधुनिकता का बोध होगा, और न

विकास की झलक मिलेगी। सुदूर वनक्षेत्रों में बसे गांवों अथवा पर्वतों की तलहटी में विकसित हो रही बस्तियों के उत्पादन नगरों तक लाने अथवा व्यापारिक वस्तुओं के वहां पहुंचने के लिये सड़कें जरूरी हैं अपितु इन गांवों, मंजरों और टोलों में रहने वाले बच्चों को कस्बों के स्कूलों में पढ़ने आने के लिये अथवा उपचार के लिये अस्पतालों तक पहुंचने के लिए सुगम मार्गों की आवश्यकता है। आंकड़े गवाह हैं कि जब से सड़कों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में आया है तब से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के स्तर में सुधार हुआ है।

मध्यप्रदेश में एक अंचल को दूसरे अंचल से जोड़ने के लिए अथवा खेत-खलियान को सीधे महानगरों की मंडियों से मिलाने का यह महत्वाकांक्षी अभियान कुल चार चरणों में चल रहा है। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मार्गों के निर्माण से अलग है। इस अभियान के प्रथम स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तीसरा पंच परमेश्वर योजना और चौथा मनरेगा आंतरिक पथ निर्माण योजना से काम हो रहा है। इन चारों योजनाओं के अंतर्गत लगभग 90 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हाथ में है। जिसमें आधे से ज्यादा काम हो चुका है और बाकी में भी दिन रात काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को नगरों से जोड़ना है। इसके अंतर्गत बारहमासी पक्की सड़कों का ऐसा जाल पूरे मध्यप्रदेश में बिछाया जा रहा है जो ग्रामवासियों को हर वक्त नगरों में आने-जाने का सूत्र बन सके। इससे गांवों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिली है। गांवों और नगरों के बीच आवागमन के साधन बढ़ने से प्रगति की रफ्तार बढ़ी है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 55692 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं इन सड़कों से कोई 12233 गांवों का सीधा संपर्क नगरों से अथवा राष्ट्रीय राजमार्गों से बना है। इन पर 13570 करोड़ रुपया खर्च हुआ है इनके अतिरिक्त 13900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में है और तेजी से चल रहा है। इन सड़कों पर लगभग 457 करोड़ रुपये की लागत से 208 बड़े पुलों का निर्माण चल रहा है। इस विशाल निर्माण से गांवों में शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाएं तो बढ़ी ही हैं साथ ही 30 प्रतिशत अतिरिक्त रोजगार भी गांवों/नगरवासियों दोनों को मिला है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना उन ग्रामों के लिए है जो गांव सुदूर अंचलों में बसे हैं। जहां विकास की झलक नहीं पहुंची। ऐसे गांवों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए उन बारहमासी मार्गों से जोड़ा जा रहा है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना अथवा किसी अन्य योजना से बने हैं। इस योजना से कुल 9109 गांवों में आवागमन नगरों तक हो जायेगा। इस योजना के जरिए कुल 19386 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो रहा है। इस पर 3634 करोड़ रुपये की लागत आना है। ये सड़कें ऐसे गांवों में पहुंच आसान करने वाली हैं जिनकी आबादी 250 अथवा इससे भी कम है। इनमें अधिकांश वनवासी जनसंख्या वाले गांव हैं जो वनक्षेत्रों में अथवा पर्वतों की तलहटी में बसे हैं। कुछ गांव सामान्य क्षेत्र के भी हैं। लेकिन इनकी आबादी भी 500 से ज्यादा नहीं है। इस योजना में अब तक 11 हजार से ज्यादा सड़कों का निर्माण हो चुका है।

पंच परमेश्वर योजना

इस योजना के अंतर्गत गांवों में आंतरिक मार्गों का निर्माण होता है। इससे पहले अधिकांश गांवों के आंतरिक मार्ग कच्चे थे। बरसात में कीचड़ होता था। उन पर चलना तो मुश्किल था ही, भरी हुई कीचड़ से रोगकारक कीटाणु होते थे वे अलग। अब पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत गांवों के इन मार्गों को पक्का और सीमेन्ट कांक्रीट से बनाया जा रहा है। गांवों की सारी गलियां और रास्ते पक्के सी.सी. रोड में बदल रहे हैं। इन सड़कों के किनारे पानी के निकास के लिये नालियां भी बनाई जा रही हैं। इन मार्गों को बनाने की स्वीकृति देने का अधिकार पंचों और सरपंचों को है। इसलिए योजना का नाम पंच परमेश्वर है। इस योजना में राशि सीधे पंचायतों के खाते में जाती है। अब तक प्रदेश की कुल 23006 पंचायतों को 4310 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। इससे 78576 कार्य हुए और 49122 कार्य पूरे हुए।

महात्मा गांधी नरेगा आंतरिक पथ

गांवों के आंतरिक पथ निर्माण के लिये महात्मा गांधी नरेगा आंतरिक पथ योजना भी काम करती है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत इन मार्गों का निर्माण होता है। इसमें रोड, नाली एवं सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए जल निकासी के काम शामिल हैं। इसकी स्वीकृति पंचों के परामर्श से पंचायत लेती है। मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत वर्ष 2013-14 तक 3006 किलोमीटर लंबे मार्ग बने हैं। इन सड़कों के जरिए 5463 गांव पक्की सड़कों से जुड़े और 15 लाख ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा मिल सकी है। इस योजना के अंतर्गत 1809 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा आवागमन के लिए सुगम मार्ग बनाने के अभियान से प्रदेश में विकास का एक नया सफर शुरू हुआ है। इसमें गांवों और वनों का उत्पाद कम से कम समय में नगरों में आ रहा है और उचित मूल्य पा रहा है। यदि आवागमन का साधन गांव तक और गांव से खेत तक होगा तो इसका लाभ फल सब्जी को कम क्षति पहुंचे नगरों की मंडी तक आने में तो मिलेगा ही साथ छोटा किसान भी सीधे मंडी में अथवा नगरों के बाजार में अपनी उपस्थिति देकर लाभ उठा सकता है।

● **मुकुरिता दुबे**

सबसे आगे मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री ग्राम सड़

क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 7,25,97,565 है, जिसमें से 5,25,37,899 ग्राम क्षेत्रों में निवास करती है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.37 प्रतिशत है। प्रदेश का 30.72 प्रतिशत क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है तथा प्रदेश की एक बड़ी आबादी दुर्गम क्षेत्र में निवासरत है। ऐसे सुदूर अंचल तक सड़क संपर्क की चुनौती को पाटने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 51 जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सामान्य विकासखण्ड में 500 तक की आबादी तथा अनुसूचित विकासखण्ड में 250 तक की आबादी वाले ग्रामों को बारहमासी सड़क संपर्क सुविधा प्रदान की जा रही है। इन ग्रामों को सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर पात्र ग्रामों को जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई। योजना के प्रारम्भ में 19346 बसाहटें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पात्र पाई गई थीं वर्ष सितम्बर-2014 तक 11499 पात्र बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई है। वर्तमान में 4389 पात्र बसाहटों को जोड़ने के कार्य प्रगति पर हैं। 2066 पात्र बसाहटों को जोड़ने की स्वीकृति भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश की कुल सड़कों में से 77.5 प्रतिशत सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं जिसमें से 63.5 प्रतिशत सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिये त्रिस्तरीय प्रणाली लागू है। योजना से निर्मित मार्गों के संधारण के लिये 5 वर्ष गारंटी अवधि तक का संधारण का कार्य किया जाता है। गारंटी अवधि समाप्त होने के उपरान्त राज्य शासन से प्राप्त राशि से सतत् संधारण का कार्य कराया जाता है।

योजना के तहत मार्ग निर्माण की नई तकनीकी के अनुसंधान एवं प्रयोग का कार्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक नजर में

योजना का क्रियान्वयन

- योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2000 में की गई।
- योजना के प्रारंभ से मार्च 2014 के अंत तक प्रदेश के लिये 69642 किलोमीटर लंबाई के मार्गों के लिए 19148 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
- 12132 मार्ग जिनकी लंबाई 55692 किलोमीटर है, पूर्ण की गई है जिसमें 13590 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
- 13237 बसाहटें लाभांवित ।
- शेष बसाहटों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर अमल से सुदूर अंचलों तक बारहमासी पक्की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने गाँवों को शहरों की तरह सर्वसुविधा सम्पन्न बनाने के लिये पिछले वर्षों में सघन प्रयास किये हैं। इनसे गाँव की दिशा और दशा बदलने में सफलता मिली है। आवागमन सुविधाओं से वंचित हजारों गाँव अब बारहमासी पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। इन सड़कों की वजह से गाँवों के आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक प्रदेश में 55692 किलोमीटर लंबी 12233 सड़कें बन चुकी हैं। इन पर 13590 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वर्तमान में 13900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। इन सड़कों पर 456.90 करोड़ रुपये लागत से 208 बड़े पुलों का निर्माण भी हो रहा है और 48 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं।

इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ग्रामीण स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है। रोगों के प्रतिरक्षण, टीकाकरण में सुधार के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचा है। सड़क संपर्कता उपलब्ध हो जाने से छोटे किसान भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए सीधे मंडियों में ले जा रहे हैं। सुदूर अंचलों तक सड़कें बनने से ग्रामों में समृद्धि आ रही है, जिससे प्रदेश और देश समृद्ध हो रहा है।

● **नवीन शर्मा**

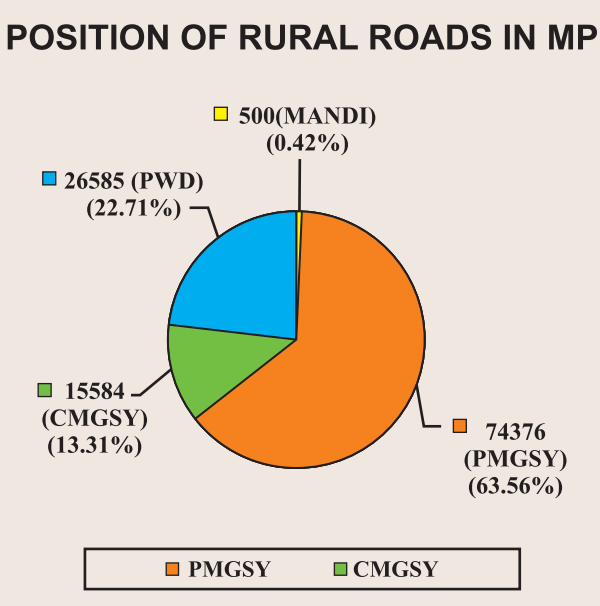

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

विकास से जोड़ते पुल

- योजना के अंतर्गत 50 मीटर तक की लम्बाई के पुल पुलियों का निर्माण मार्ग के साथ स्वीकृत किया गया।
- 50 मीटर से अधिक लम्बाई के पुलों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा अलग से दी जाती है जिसमें 50 मीटर से अधिक लम्बाई का व्यय राज्य शासन वहन करता है।
- भारत सरकार से अभी तक 208 बड़े पुलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- 48 पुलों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 208 पुल निर्माणाधीन हैं।
- कुल लागत 451 करोड़ रुपये में से भारत सरकार का अंश 203 करोड़ रुपये व राज्यांश 248 करोड़ रुपये है।
- 81 पुलों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये।
- 102 पुलों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गये।
- निर्माणाधीन पुलों में वृहद्तम पुल 425 मीटर लम्बा ताप्ती नदी पर बैतूल जिले में निर्माणाधीन है।

मार्गों का रख-रखाव

- योजना के अंतर्गत निर्मित मार्गों का रख-रखाव पूर्णता तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक निर्माण करने वाली एजेंसी से परफारमेन्स ग्रांट के अंतर्गत राज्य शासन के व्यय पर कराया जाता है।
- पाँच वर्ष की गारंटी अवधि पूर्ण होने के पश्चात् इन मार्गों का रख-रखाव तथा संधारण कार्य करने के लिए राज्य शासन द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है, जिससे आगामी पाँच वर्षों के लिये रख-रखाव तथा संधारण के ठेके प्रदान किये जाते हैं।
- भारी यातायात वाले मार्गों का उन्नयन राज्य शासन के मद से आवश्यकतानुसार कराया जा रहा है।
- राज्य शासन द्वारा अभी तक मंडी निधि तथा राज्य बजट के माध्यम से 1227 करोड़ रुपये की राशि रख-रखाव कार्यों के लिए प्रदान की गई।

संधारण की स्थिति

- 55692 किलोमीटर लंबाई के मार्ग पूर्ण किये जा चुके हैं।
- वर्तमान में 38000 किलोमीटर लंबाई के मार्ग पाँच वर्षीय गारंटी के अवधि के अंतर्गत रख-रखाव में है।
- 17000 किलोमीटर लंबाई के मार्ग पाँच वर्षीय गारंटी के अवधि के पश्चात् पुनः नवीनीकरण तथा पाँच वर्ष की संधारण अवधि के लिए अनुबंधित है।
- 1457 करोड़ रुपये के रख-रखाव के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। 9000 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का पुनः डामरीकरण किया जा चुका है जिस पर 951 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

● राजेश कुमार शर्मा

मध्यप्रदेश में नई तकनीकों से बेहतर सड़कें

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों पर अत्यधिक भारी वाहनों का यातायात प्रारंभ हुआ।
- राज्य शासन के द्वारा ग्रामीण सड़कों को भी यातायात के अनुसार नए सिरे से डिजाइन कर उन्नयन किया जा रहा है।
- 678 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का उन्नयन करने के लिए राज्य शासन द्वारा 218 करोड़ रुपये प्रदाय।

मार्ग निर्माण में आधुनिक मशीनों का उपयोग

- योजना के अंतर्गत प्रदेश में निर्मित की गयी सड़कों का निर्माण उच्च तकनीकी से आधुनिक मशीनों द्वारा कराया गया।
- मिट्टी के कार्यों के लिए स्टेटिक रोलर के अलावा बायब्रेटरी रोलर, कम्पेक्टर व ग्रेडर का उपयोग किया गया।
- डामरीकरण कार्य के लिए हाट मिक्स प्लांट, पेवर, टेंडम रोलर का उपयोग किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क गुणवत्ता की गारंटी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में म.प्र. अग्रणी राज्य है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 57277 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया गया है तथा लगभग 12365 किलोमीटर लम्बाई की सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सड़क निर्माण कार्यों की उच्चतम गुणवत्ता के लिए सतत् प्रतिबद्ध रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रणाली प्रचलन में है। प्रथम स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई तथा सुपरविजन कन्सल्टेन्ट के इंजीनियर, द्वितीय स्तर में स्वतंत्र राज्य स्तरीय गुणवत्ता पर्यवेक्षक व मुख्यालय सीनियर इंजीनियर तथा तृतीय स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नेशनल क्वालिटी मानीटर्स द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

इन पर्यवेक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षण कार्यों की रिपोर्ट तथा फोटोग्राफ आम जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट पर अपलोड किये जाते है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में और अधिक सुधार एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अब राज्य स्तरीय गुणवत्ता पर्यवेक्षकों के निरीक्षण के लिए नवीनतम तकनीक पर आधारित मोबाइल फोन बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक के उपयोग से गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सकेगा। इस तकनीक से स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाले राज्य स्तरीय गुणवत्ता पर्यवेक्षकों द्वारा स्थल पर पाये जाने वाले कार्य के निरीक्षण के दौरान यथास्थिति फोटोग्राफ स्थल से ही अपलोड किये जाते हैं जो कि सीधे उसी मार्ग के अक्षांश एवं देशांश को दर्शाते हैं जहाँ से फोटो खींचा गया है। इस फोटोग्राफ को इस तरह लिया जाता है कि सड़क की गुणवत्ता दर्शित हो तथा फोटोग्राफ को देखकर प्रथम दृष्टया गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त हो सके।

विभिन्न सतहों की मोटाई की जाँच

मिट्टी की ग्रेडिंग की जाँच

राज्य स्तरीय गुणवत्ता पर्यवेक्षकों को मोबाइल फोन बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 27 से 28 जनवरी 2014 को भोपाल में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एनआरआरडीए नई दिल्ली एवं सी.डेक के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश में राज्य स्तरीय गुणवत्ता पर्यवेक्षकों के निरीक्षण के लिए इस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का उपयोग अप्रैल 2014 से अनिवार्य कर दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बेहतर सड़कें

मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल से सड़क निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन और गुणवत्ता नियंत्रण में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों से आगे है। प्रदेश में ई-गवर्नेंस के तहत किये गये प्रयासों से एक तरफ जहाँ विकास से जोड़ती सड़कों का निर्माण हुआ वहीं सड़क निर्माण के विभिन्न पक्षों और गुणवत्ता की निगरानी की समुचित पारदर्शी व्यवस्था निर्मित हुई। समस्त निविदाओं का ई-टेण्डर पद्धति से आमंत्रण, बिलों का त्वरित भुगतान, जी.आई.एस. आधारित सभी मार्गों का कोर नेटवर्क, नवीन मार्गों का ई-प्रबंधन संभव हुआ है। सड़कों के प्रबंधन और रखरखाव के लिये ई-मेन्टेनेंस प्रणाली लागू की गयी है। सड़कों की गुणवत्ता के लिए स्टेट क्वालिटी मॉनीटर के द्वारा निरीक्षण के दौरान मोबाइल आधारित तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

गाँव-गाँव तक समृद्धि के रास्ते तय करती सड़कों के निर्माण, गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर जो अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके पीछे मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अलका उपाध्याय की पहल पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र भोपाल द्वारा निर्मित आईजियो एप्रोच प्रणाली तथा ई-मार्ग की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र भोपाल के सीनियर टेक्नीकल डायरेक्टर श्री विवेक चितले तथा उनके दल द्वारा जी.आई.एस. तथा डिजिटल सिग्नेचर पर आधारित इन प्रणालियों के निर्माण के लिये स्पेशल अचीवमेन्ट इन जी.आई.एस. का अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रीय जियो स्पेशल एक्सीलेन्स अवार्ड तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

सड़क निर्माण के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस से योजना निर्माण, नियोजन और क्रियान्वयन की यह पहल समूचे भारत में सबसे पहले मध्यप्रदेश में हुई है। इस समुचित व्यवस्था का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अमल में अव्वल है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा अन्य योजनाओं को समायोजित कर प्रदेश में लगभग एक लाख किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है। मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस के उपयोग से सड़क निर्माण, संधारण और निगरानी का यह अभिनव प्रयोग देश में पहली बार हुआ है।

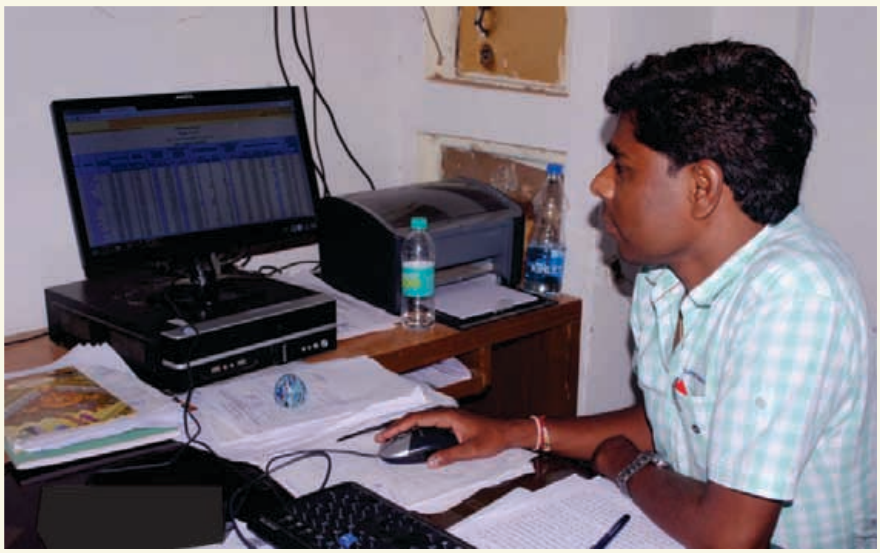

ई-मार्ग सबक बन गया अन्य राज्यों के लिये

मध्यप्रदेश में विकास का स्वर्णिम काल चल रहा है। सड़कों की कमी से कई सुविधाएं गांवों तक नहीं पहुंच पाईं। पिछले छह दशकों से सड़कें सुधारने और उनका विस्तार करने का संघर्ष राज्य सरकारें करती रही हैं। पिछले एक दशक में हुआ परिवर्तन अब साफ दिख रहा है। जो सबसे बड़ा काम हुआ है वह है गांवों का आपस में जुड़ाव। विकास का हर काम सकड़ों के विकास से जुड़ा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिस रचनात्मक तरीके से मध्यप्रदेश ने उपयोग किया है वह अन्य राज्यों में देखने में नहीं आता। चाहे बजट का बेहतर उपयोग हो या सड़कों की गुणवत्ता हो या पॉलीथिन से सड़क बनाने जैसी नवाचारी पहल हो। आज मध्यप्रदेश सड़क निर्माण के कार्यों और प्रबंधन में ई-गवर्नेंस के उपयोग में सबसे आगे है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सड़क निर्माण में ई-प्रशासन तंत्र का हस्तक्षेप कितना ज्यादा परिणामोन्मुखी होता है यह जानने के लिये मध्यप्रदेश एक पाठशाला बन गया है। देश में पहली बार ऐसी पहल हुई है जिसे अन्य राज्यों के लिये सबक माना जा रहा है। सड़क निर्माण, संधारण और स्थिति की जानकारी में ई-गवर्नेंस के उपयोग ने देश के नीति निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट किया है। सड़कों के निर्माण की प्राथमिकता तय करने से लेकर उसकी निगरानी रखने और उससे संबंधित आंकड़ों को एक साथ संधारित करने का काम सिर्फ मध्यप्रदेश में हुआ है।

विकास की सड़कें - मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़े राज्य होने से सड़कों का निर्माण एक बड़ी समस्या थी। कई क्षेत्र ऐसे थे जो सड़कें नहीं होने से विकास की प्रक्रिया से वर्षों तक कटे रह गये थे। प्रदेश के 30 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। इन क्षेत्रों में और इसके आसपास रह रही जनसंख्या तक सुविधाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण काम बना रहा। आज ऐसी स्थिति नहीं रही। हर गांव सड़क से जुड़ रहा है। सड़कों के निर्माण का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में तेजी से आगे बढ़ा। प्रदेश की 77 प्रतिशत सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं। इनमें से 63 प्रतिशत का निर्माण मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने किया है। ग्रामीण सड़कों का जाल मजबूत होने से टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने और शिक्षा की सुविधाएं पहुंचना आसान हो गईं। गांवों में समृद्धि अब चारों ओर दिख रही है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये जो प्रशासनिक तंत्र तैयार किया गया है उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि सड़कों के निर्माण का काम करने वाली एजेंसी को ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि अगले पांच साल तक गुणवत्ता और संधारण भी वही एजेंसी करे। इस कदम से गुणवत्ता के बारे में आने वाली शिकायतें लगभग समाप्त सी हो गई हैं। आवागमन बढ़ने और यातायात के दबाव से सड़कों की सेहत समय-समय पर खराब होते रहती है लेकिन मरम्मत का भी पूरा इंतजाम किया गया है।

लंबी उम्र के लिये गुणवत्ता - प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बनाये रखने और ई-प्रशासन तंत्र खड़ा कर उसका बेहतर उपयोग करने के प्रयास की पूरे देश में चर्चा है। निर्माण की गुणवत्ता के लिये जो नियंत्रण प्रणाली अपनाई गई उसके उच्च कोटि के परिणाम मिले हैं। पहले परियोजना क्रियान्वयन इकाई, राज्य स्तरीय गुणवत्ता पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता पर्यवेक्षकों के प्रयासों से सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता संदेह से परे हो गई। हर स्तर पर गुणवत्ता की जांच की संस्थागत व्यवस्था वरदान साबित हुई है। गुणवत्ता पर्यवेक्षकों के निरीक्षण कार्यों की रिपोर्ट तथा फोटोग्राफ आम लोग देख सकते हैं। ये जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। इसके लिये मोबाइल फोन आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान तुरंत बाद फोटोग्राफ स्थल से ही अपलोड किये जाते हैं जो सीधे उसी मार्ग के अक्षांश और देशांश को दिखलाते हैं जहां से फोटो लिया गया है। फोटोग्राफ को इस तरह से लिया जाता है कि सड़क की गुणवत्ता मालूम हो सके।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन व निगरानी के लिये बनाये गये आई-जियो एप्रोच प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय जियो स्पेशल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

सड़कके संधारण के काम की भी ऑनलाइन निगरानी अब संभव हो गई है। सभी मार्गों का एनआईसी के पोर्टल पर डाटा उपलब्ध है। निरीक्षण प्रतिवेदन तुरंत अपलोड किये जाते हैं। देयकों के ऑनलाइन अपलोड की सुविधा है। ठेकेदारों को भी यह सुविधा मिली है। देयकों की राशि ठेकेदार के बैंक खाते में सीधे पहुंच जाती है।

ई-मार्ग - ई-मार्ग दरअसल ऐसी सोच है जो सड़क निर्माण से जुड़े सभी तत्वों को आपस में एक दूसरे से जोड़ देती है। आज मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। करीब 52 हजार गांव और 23 हजार से अधिक पंचायतें सड़क मार्ग से जुड़ गई हैं। ई मार्ग की भौगोलिक पहुंच राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर है। अब तक कई ऐसे मुद्दे थे जो परेशानी का कारण बनते थे। ठेकेदारों को समय पर भुगतान होने में विलम्ब होता था। सड़क बनने से पहले और बाद की स्थिति की समीक्षा नहीं हो पाती थी। सड़कों का विस्तृत ब्यौरा एक स्थान पर उपलब्ध नहीं था। सड़कें बनने के बाद उन पर निगरानी रखने का काम मुश्किल था। पारदर्शिता का अभाव था। सड़कों के निरीक्षण की रिपोर्ट रखने में समस्या थी। इस काम में दोहराव होता था। इसके अलावा सबसे बड़ी कमी यह थी कि लोक शिकायतों का कोई स्थान नहीं था। उनके फीडबैक की नीति निर्माण के समय अनदेखी होते रहती थी। ई-मार्ग से आज यह स्थिति बनी है कि एक हजार से ज्यादा ठेकेदारों का डाटाबेस उपलब्ध है। सड़कों की जन्म कुण्डली बेहतर तरीके से संधारित है। ठेकेदारों का समय पर भुगतान होता है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में सूचना मिल जाती है। नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकियों जैसे क्रिप्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, मोबाइल, ओपन वेब टेक्नालॉजी, संदेश प्रसारण तकनीकी आदि का भरपूर उपयोग हो रहा है। यह पहल बैंकों और शासकीय विभागों के लिये वरदान साबित हुई है। देयकों के अनुमोदन, भुगतान की प्रक्रिया तेज हो गई है।

● **अवनीश सोमकुंवर**

ई-मार्ग का प्रभाव

ई-मार्ग के प्रभाव को समझने के लिये पूर्व में स्थापित व्यवस्था और ई-मार्ग व्यवस्था की तुलना करना जरूरी होगा।

पुरानी व्यवस्था	ई-मार्ग व्यवस्था
ठेकेदार हर महीने बिल जमा करता था।	अब स्वत: बिल बन जाता है और ठेकेदार को केवल सत्यापित करना पड़ता है।
ठेकेदार को भुगतान के लिये बिल जमा करने में यात्रा करना पड़ती थी या पोस्ट से भेजना पड़ता था।	कहीं से भी बिल जमा किया जा सकता है। इससे समय और पैसा दोनों बचने लगा है।
कई कागजी कार्रवाई होती थी।	कागज का उपयोग नहीं होता। ठेकेदार को बिल जमा करने और भुगतान होने की सूचना एसएमएस से मिल जाती है।
सिर्फ ऑफिस समय में ही देयक जमा होते थे।	समय की कोई पाबंदी नहीं।
हर समय सड़कों के निरीक्षण की रिपोर्ट दी जाती थी। पारदर्शिता की शिकायतें रहती थीं।	ऑनलाइन जमा होती है। पारदर्शिता बनी रहती है।
सड़कों की स्थिति की निगरानी में समस्या आती थी।	ऑनलाइन प्रक्रिया से निगरानी रखना आसान हो गया है।
भुगतान चेक से होते थे, विलम्ब होता था।	अब ठेकेदार के खाते में राशि जमा हो जाती है।

कचरा पॉलीथिन से बनी

पर्यावरण मित्र सड़कें

देश की तकरीबन तीन चौथाई आबादी गांवों में रहती है। आजादी के पांच दशकों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र की यह आबादी विकास की मुख्य धारा से अछूती ही रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत जरूरतों के साथ-साथ उनकी मेहनत का वाजिब दाम हासिल नहीं कर पायी। इसका सबसे बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक आवागमन की सुविधा का न होना रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों तक जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने महती भूमिका निभायी है। प्रधानमंत्री सड़कों ने गांव-गांव तक सड़कों का जाल फैला कर संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सामान्य आबादी वाले क्षेत्रों में 500 तक की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले ग्रामों को बारहमासी सड़क संपर्क सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इन ग्रामों को सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर ग्रामों को जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई। योजना के प्रारम्भ में 19346 बसाहटें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पात्र पाई गई थीं वर्ष सितम्बर-2014 तक 11499 पात्र बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई है। वर्तमान में 4389 पात्र बसाहटों को जोड़ने के कार्य प्रगति पर है। 2066 पात्र बसाहटों को जोड़ने की स्वीकृति भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

मध्यप्रदेश की कुल सड़कों में से 77.5 प्रतिशत सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं जिसमें से 63.5 प्रतिशत सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है।

सड़क निर्माण में नई तकनीकी के अन्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग - मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के जाल ने एक ओर ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का काम तो किया ही है दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टि से भी अकल्पनीय एवं अभूतपूर्व कार्य किया है। पर्यावरण संरक्षण एवं अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर इन सड़कों को मजबूती देने में मध्यप्रदेश में किया गया कार्य अपने आप में अनूठा एवं अद्वितीय है। आज पॉलीथिन पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक मानी जाती है। पॉलीथिन कचरे में यहां-वहां बिखरी हुई कहीं भी नजर आ जाती है। जलाने पर इसका धुंआ काफी हानिकारक होता है, इसे दुबारा भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यहां-वहां बिखरी पॉलीथिन पन्नियों को जब पशुओं द्वारा खाया जाता है तो यह पशुओं के लिये जहर साबित होता है। मध्यप्रदेश की बात करें तो यहां प्रतिदिन लगभग 8000 से 10000 मैट्रिक टन कचरा एकत्रित होता है जिसमें से 5 से 7 प्रतिशत प्लास्टिक का होता है। इस प्लास्टिक में से लगभग 80 से 100 मैट्रिक टन प्लास्टिक आधारित प्राप्त होता है जो कि दुबारा उपयोग में नहीं आता किन्तु इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जा सकता है। पशुधन की हानि एवं पर्यावरण के संरक्षण के मद्देनजर पॉलीथिन को सड़कों के निर्माण में उपयोग कर सड़कों को गुणवत्तापूर्ण बनाने का कार्य संभवतः मध्यप्रदेश में ही किया जा रहा है। सड़क निर्माण में पॉलीथिन उपयोग की इस प्रक्रिया में पन्नियों को इकट्ठा कर मशीन के माध्यम से गिट्टी और डामर के साथ मिला दिया जाता है। इस मिश्रण को सड़क पर बिछाया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि गिट्टी और डामर की पकड़ मजबूत हो

जाती है जिससे सड़कों के क्षरण की अवधि बढ़ जाती है और सड़क की कठोरता में भी बढ़ोत्तरी होती है। इसके अलावा गिट्टी और डामर के मिश्रण में पानी नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से सड़क लंबी अवधि तक चलती है। डामर कम लगने पर सड़क निर्माण की लागत भी कम हो जाती है।

इसके अलावा प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनने वाली सड़कों में गैर परम्परागत तकनीकी का उपयोग कर सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण को सहेजने का अनूठा कार्य किया जा रहा है।

जूट तकनीकी का प्रयोग - इसी दिशा में सड़क निर्माण में जूट का प्रयोग कर सड़क की गुणवत्ता बढ़ाना अपने आप में अभिनव प्रयोग है। इस पद्धति का प्रयोग कर सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी की सतह के ऊपर जूट की एक परत बिछायी जाती है जिससे सड़क मजबूत हो जाती है और मिट्टी की परत अंदर की और नहीं धसक पाती।

मिट्टी में चूना मिलाकर सड़क निर्माण की पद्धति - इसका प्रयोग मिट्टी के साथ चूना मिलाकर मिट्टी की परत को मजबूती देना एवं मिट्टी के कणों की पकड़ को मजबूत बनाना है। इस पद्धति का प्रयोग उन सड़कों के निर्माण में किया जाता है जिस क्षेत्र की मिट्टी कमजोर होती है तथा दूसरी जगह से मिट्टी परिवहन में अधिक व्यय आ रहा होता है। ऐसी सड़कों के निर्माण के लिये नीचे की सतह में मिट्टी के साथ चूना मिलाकर सड़क को मजबूत बनाया जाता है।

रोलर कम्पेक्ट कांक्रीट पद्धति - प्रदेश में रोलर कम्पेक्ट कांक्रीट पद्धति का भी प्रयोग प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में किया जा रहा है। इस पद्धति में सीमेंट की परत बिछाकर रोलर के माध्यम से कंपेक्शन किया जाता है। जिससे सीमेंट एवं पानी का कम प्रयोग करना पड़ता है। इस पद्धति से पानी की बचत एवं सीमेंट की बचत होती है। इस पद्धति का प्रयोग करने से कम खर्च में अच्छी गुणवत्ता की सीमेंट की सड़क तैयार हो जाती है।

सेल फिल्ड कांक्रीट रोड

सेल फिल्ड कांक्रीट तकनीकी - मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री सड़कों के निर्माण में सेल फिल्ड कांक्रीट तकनीकी का प्रयोग कर कम लागत में मजबूत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस तकनीकी में प्लास्टिक की पट्टियां सड़क निर्माण के दौरान बिछायी जाती हैं। इसके ऊपर सीमेंट की परत बिछायी जाती है इस तकनीकी में सड़कों के निर्माण में लागत लगभग आधी रह जाती है।

फोल्ड मिक्स तकनीकी - प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में फोल्ड मिक्स तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। इस तकनीक में डामर को पानी के साथ मिलाकर मशीन के माध्यम से घोल तैयार किया जाता है। इसे गिट्टी के साथ सड़क पर बिछाया जाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें डामर को गर्म नहीं करना पड़ता जिससे ईंधन की बचत होती है साथ ही किसी भी मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है।

फ्लाई ऐस का उपयोग - कई कारखानों में उपयोग किये जाने वाले कोयले की राख पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अवशिष्ट धूल-राख के उड़ने से कई बीमारियां फैलती हैं। यह राख मनुष्य के श्वसन तंत्र को सीधे प्रभावित करती है। इस प्रदूषण को रोकने के लिये जले कोयले से निकली राख को सड़क निर्माण में प्रयोग कर पर्यावरण की क्षति को बचाने का काम भी प्रधानमंत्री सड़कों के माध्यम से प्रदेश में किया जा रहा है।

इंटर लाकिंग कांक्रीट पेविंग ब्लाक - प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत जहां सीमेंट कांक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता है वहां सीमेंट कांक्रीट सड़कों की जगह पेविंग ब्लाक के द्वारा सड़क तैयार करायी जा रही है। मध्यप्रदेश में पेविंग ब्लाक के द्वारा सड़क तैयार करने का कार्य अपने आप में अन्य प्रदेशों की तुलना मं अनूठा उदाहरण दर्शाता है। पेविंग ब्लाक के द्वारा उन क्षेत्रों में सड़क निर्माण कराया जा रहा है जहां सड़क निर्माण कम अवधि में तैयार कराना है और जहां पानी की समस्या है एवं सीमेंट कांक्रीट की सड़क निर्माण में लागत ज्यादा आ रही है।

• प्रीति नीखरा

समृद्धि के रास्तों से जुड़ते गाँव

सड़के विकास और समृद्धि का पर्याय कहलाती हैं। जहां आवागमन के लिए सड़कें होती हैं वह क्षेत्र विकसित और समृद्ध हो जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के आज अनेक ऐसे गांव हैं, जो सड़कों के अभाव में विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित सामान्य क्षेत्र में 500 से कम तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना के माध्यम से प्रदेश में 19,386 किलोमीटर लंबाई की 7575 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर 9109 ग्रामों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना में महात्मा गांधी नरेगा, बीआरजीएफ, राज्य योजना मद के कन्वर्जेंस को शामिल किया गया है।

प्रदेश में 11500 किलोमीटर लंबाई की 5340 सड़कें पुल-पुलियों सहित बनायी जा चुकी हैं। इन सड़कों के बनने से प्रदेश के 5818 गांव मुख्य मार्गों से जुड़ चुके हैं।

जिससे तकरीबन 16 लाख से अधिक ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा हुई है। मार्च 2015 तक प्रगतिरत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों में 2005 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। जिसमें मनरेगा से 425.84 करोड़, बीआरजीएफ योजना 258.01 करोड़ रुपये तथा राज्य मद से 1421.17 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

दूर दराज के गांवों में मुख्यमंत्री सड़क बनने से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पहुंचना आसान हुआ है। बारिश के दिनों में मुसीबत का सामना करने वाले ग्रामीणों को अब बारह महिनों आवागमन की सुविधा मिल गयी है। बच्चे अब आसानी से स्कूलों तक इन सड़कों के माध्यम से पहुंचने लगे हैं।

मुख्य मार्गों तक पहुंच हो जाने से ग्रामीणों को अपनी उपज का भी वाजिब दाम मिलने लगा है। सड़कों के अभाव में शहर तक पहुंच न होने से ग्रामीणों को सुरक्षित प्रसव तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनीं सड़कों ने शहर तक पहुंच बनाकर ग्रामीणों के लिये सुरक्षित प्रसव के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को भी आसान बनाया है।

ये सड़कें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार के लिये संपर्क और विकास की मुख्यधारा में जुड़ने का एक सशक्त माध्यम साबित हुई हैं।

● **अनिल गुप्ता**

मनरेगा कन्वर्जेंस

सफर हुआ आसान

बैतूल जिले में मनरेगा से बने ग्रेवल मार्गों ने ग्रामीणों का सफर आसान बना दिया है। कटीले पथरीले रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीण अपने वाहनों से फर्राटा भरते नजर आते हैं। समय की बचत और सफर आसान होने से सड़क से गुजरने वाले ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देती है।

इसी तरह का फायदा हुआ बैतूल विकासखण्ड की बांसपानी पंचायत के अंतर्गत बांसपानी से साकादेही की ओर ग्रेवल मार्ग बन जाने से। इस सड़क के बनने से ठानी, गवाडीढाना, उमरवानी आदि गांवों की एक हजार से अधिक आबादी सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गयी है। वर्ष 2009-10 में 4 लाख 95 हजार की लागत से 750 मीटर लंबाई की यह सड़क मंजूर हुई। जिसके बनने से ग्रामीणों को रोजगार के साथ आवागमन की सुविधा हो गई।

बांसपानी के रामजीलाल ने बताया कि सड़क नहीं होने की वजह से बारिश के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचना असंभव हो जाता था। सड़क बनने से पूर्व यहां गहरी खाइयां होने से पैदल चलना भी मुश्किल था। ठानी, गवाडीढाना और उमरवानी के ग्रामीणों को मुख्य मार्ग पहुंचने के लिये चार-पांच किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था परन्तु अब यह दिक्कत खत्म हो गयी है।

वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच प्रेमसिंह सिरसाम ने बताया कि सड़क निर्माण में पंचायत के 400 जॉबकार्डधारी परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया। मजदूर-मूलक कार्य होने से लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ और आवागमन की दिक्कत खत्म हो गयी

है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित होती है। राज्य की 73.54 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। जीवन यापन के स्तर में सुधार एवं आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे सभी ग्रामों में निवास कर रहे लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इससे न केवल आवागमन की सुविधा हो सकेगी बल्कि ग्रामों में कृषि तकनीक के आदान-प्रदान तथा कृषि उपज विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ बेहतर तरीके से संभव हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिये आवागमन सुविधा जरूरी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। बावजूद इसके राज्य के बहुत से जो गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी वाले ग्राम आवागमन की सुविधा से अछूते हैं।

इस व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी ग्रामों को जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश तथा बी.आर.जी.एफ. योजना द्वारा वित्त पोषित तथा अभिसरित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2010 से प्रारंभ किया है।

योजना अंतर्गत ग्रेवल मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें वृहद स्वरूप के पुलों को छोड़कर पाईप कल्वर्ट, वेन्टेड काजवे तथा 6.0 मीटर तक स्पान के स्लैब और बाक्स कल्वर्ट बनाए जा रहे हैं। पुल पुलियों का यह कार्य सामग्री बाहुल्य होने से, क्लस्टर एप्रोच के अंतर्गत ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है।

● **योगेन्द्र गिरि**

बनी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क अब चलो बेधड़क

दुरस्थ अंचलों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क बनने से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पहुंचना आसान हो गया है। बारिश के दिनों में मुसीबत का सामना करने वाले ग्रामीणों को अब बारह महीनों आवागमन आसान हुआ है। खासकर स्कूली छात्र-छात्राओं को स्कूल तक पहुंचना अब बारह महीने सुगम और सुखद रहता है।

बैतूल जिले में विकासखण्ड शाहपुर के अंतिम छोर पर डेढ़ कि.मी. की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बन जाने से करीब बीस पच्चीस गांव की आबादी सीधे पहुंच मार्ग से जुड़ गयी है। अब तक लम्बा चक्कर काटकर आने वाले ग्रामीण अपने वाहनों से जल्द ही नजदीकी शहर पहुंच जाते हैं। वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजनान्तर्गत टांगनामाल से टांगना रैय्यत मार्ग स्वीकृत किया गया। जिसमें मनरेगा से पन्द्रह लाख रुपये, बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत साढ़े छः लाख रुपये व्यय किया जाना था। ग्रामीणों को गांव में रोजगार मुहैया कराने और आधारभूत संरचना के विकास के लिये मनरेगा योजना यहां के ग्रामीणों के लिये बेहद कारगर साबित हुई ग्रामीणों को रोजगार के साथ-साथ आवागमन का रास्ता तैयार हो गया।

सड़क बन जाने से टांगना रैय्यत, पाण्डाझिरी, चिखली माल, चिखली रैय्यत, खपरावाड़ी, धामन्या आदि की करीब दो हजार की आबादी को सीधे मुख्य मार्ग तक पहुंचना आसान हो गया है। इन गांवों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास करने के बाद मिडिल स्कूल टांगना माल पढ़ने जाते हैं। सड़क नहीं होने की वजह से बच्चों को दिक्कत तो होती ही थी खासकर बारिश के समय स्कूल छोड़ना पड़ जाता और इसी मार्ग से हाईस्कूल बीजादेही पहुंचने वाले बच्चों को बारिश में स्कूल छोड़ना पड़ जाता। पर सड़क ने स्कूली बच्चों सहित सभी की परेशानी को दूर कर दिया है।

इन ग्रामीणों को पास के नगर चिचोली पहुंचना भी अब आसान हो गया है। अब सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाने से ग्रामीणों को अपनी उपज का सही दाम मिलने लगा है।

● **देवेन्द्र राठौर**

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना विकास का सफर

सुदूर ग्रामीण अंचलों तक समृद्धि और विकास की पहुँच हो इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिये राज्य के पहुँच विहीन 9109 गाँवों को बारहमासी सड़कों (ग्रेवल रोड) से जोड़ा जा रहा है। इस अनूठी योजना के जरिये 3634 करोड़ की लागत से पुल पुलियों सहित 19 हजार 386 किलोमीटर लम्बी 7575 ग्रेवल रोड का निर्माण हो रहा है। ये सभी ऐसे गाँव हैं जो अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित हैं। इनमें सामान्य क्षेत्र के 500 तक के आबादी वाले गाँव और आदिवासी बहुल अंचलों के 250 से कम आबादी वाले गाँव हैं जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किये गये हैं। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में 3634 करोड़ रुपये लागत से 19386 किलोमीटर लंबी 7575 सड़कें बनाई जा रही हैं। इस योजना में अब तक 11000 किलामीटर लंबी 4870 सड़कें पुल-पुलियाओं सहित बनाई जा चुकी हैं। मनरेगा कन्वर्जेंस से वर्ष 2013-14 तक 3006 कि.मी. लंबी सड़कें बनी हैं। इन सड़कों के जरिये 5463 गाँव पक्की सड़कों से जुड़ गये हैं और 15 लाख ग्रामीणों को आवागमन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इस योजना में अब तक 1809 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। और वित्तीय वर्ष 2014-15 में करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

● **मोहन सिंह पाल**

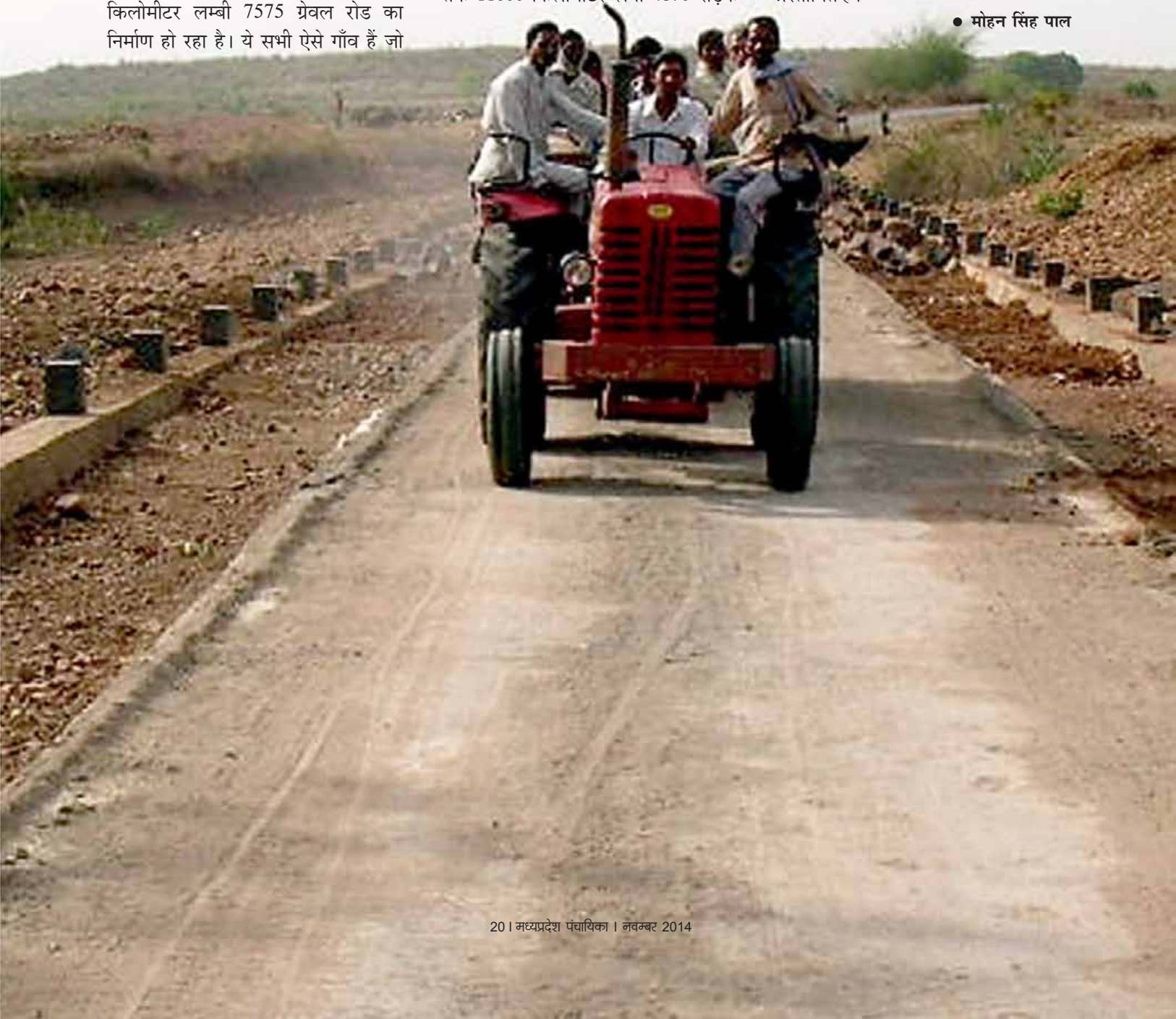

केन्द्र और राज्य की योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार मुहैया कराना तथा ग्रामीण क्षेत्र के संवहनीय विकास के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण सड़क संपर्क के कार्यों के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के किये गये प्रावधानों में मनरेगा मद से मिट्टी/मुरुम/ग्रेवल आदि खोदने तथा बिछाने का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है। अर्थवर्क से जुड़े सभी कार्य मनरेगा के अंतर्गत लिये जायेंगे। यह कार्य 60 : 40 की मजदूरी एवं सामग्री के अनुपात में किये जाएंगे।
- बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (BRGF) योजना के अंतर्गत, जहां पर अधोसंरचना की कमी है, वहां अधोसंरचना निर्माण से जुड़े कार्य लिये जा सकते हैं। प्रदेश के जिन जिलों में बीआरजीएफ योजना संचालित है। उन जिलों में सड़क निर्माण के दौरान आवश्यक पुल पुलियों का निर्माण बीआरजीएफ मद से किया जाएगा।
- जिन जिलों में बीआरजीएफ योजना संचालित नहीं है, वहां पुल पुलियों का निर्माण राज्य आयोजना मद से किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त ऐसी सड़कों पर जहां उपयुक्त गुणवत्ता की मिट्टी, मुरुम, ग्रेवल आदि उपलब्ध नहीं हो पाती है, वहां परिवहन व्यय में अधिकता के कारण, मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात संधारित करने में कठिनाई होती है। परिवहन में होने वाला अतिरिक्त व्यय मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
- बारहमासी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता के साथ प्रोजेक्ट मोड में पूर्ण किया जाना है। इसके लिये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्माण एजेन्सी बनाया गया है।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की ग्रेवल सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बनाये जाने का प्रावधान रखा गया है। इन सड़कों की परतों के निर्माण में उसी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाना है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये हैं।
- गुणवत्ता नियंत्रण के लिये आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य रूप से कराये जा रहे हैं। इसके लिये वर्तमान में जिलों में उपलब्ध प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रयोगशालाओं के उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
- योजना अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों की सतत् मॉनीटरिंग राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर की जावेगी।
- विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिये नियुक्त फील्ड कन्सल्टेन्ट कार्यों का मापन, सुपरवीजन तथा क्वालिटी कन्ट्रोल करेंगे।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनने वाली ग्रेवल सड़कों की खासियत यह है कि इन सड़कों के निर्माण में तकनीकी पहलू पर गहन नियंत्रण किया गया है। एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के मापदण्डों को अपनाया गया है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री फिर चाहे वह मिट्टी हो, मुरम हो या गिट्टी हो इन सभी को उसी गुणवत्ता का प्रयुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया जो प्रधानमंत्री सड़कों में प्रयोग किया गया।

इस योजना में कार्यों के सर्वेक्षण, परीक्षण, मापदण्ड तथा बिल आदि तैयार करने के लिये कंसल्टेंट की मदद ली गयी ताकि तकनीकी अमले को सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देने का पर्याप्त समय मिल सके। सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण हेतु प्रयोगशालायें भी बनायी गयीं ताकि सड़क निर्माण में सामग्री गुणवत्ता पूर्ण प्रयोग की जा सके।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़कों की गुणवत्ता को जांचने के लिये समय-समय पर राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर द्वारा भी मौके पर जाकर गुणवत्ता की जांच की गई।

एक व्यवस्थित एवं सुनियोजित रणनीति के साथ तैयार की गई कार्ययोजना के क्रियान्वयन ने मूर्तरूप लेना शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में 19,386 किलोमीटर सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पूरा किया जा चुका है। इन सड़कों ने 9109 गांवों को बारहमासी आवागमन की सुविधा मुहैया कराकर विकास की मुख्यधारा में लाने का काम किया है।

● **अरविन्द गुप्ता**

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे गाँवों की बदली तस्वीर

सड़क सम्पर्क उपलब्ध होने से ग्रामों के आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश में आए सुधार के कारण ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन करने में उल्लेखनीय सहायता मिलती है। अतः सभी ग्रामों को ऐसी बारहमासी सड़क से जोड़ा जाए कि जिसमें नदी नालों को सभी ऋतुओं में पार किया जा सके। गांवों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से कृषि तकनीक के आदान-प्रदान एवं कृषि उपज विपणन को बढ़ावा मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं शिक्षा सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सड़क सम्पर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर भी निर्मित होंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना से शेष रहे गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्य शासन द्वारा वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई।

सड़क सम्पर्क उपलब्ध होने से ग्रामों के आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश में आए सुधार के कारण ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन करने में उल्लेखनीय सहायता मिलती है। अतः सभी ग्रामों को ऐसी बारहमासी सड़क से जोड़ा जाए कि जिसमें नदी नालों को सभी ऋतुओं में पार किया जा सके। गांवों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से कृषि तकनीक के आदान-प्रदान एवं कृषि उपज विपणन को बढ़ावा मिलेगा, बेहतर

स्वास्थ्य सुविधाएं एवं शिक्षा सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सड़क सम्पर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर भी निर्मित होंगे।

इस योजना में भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा मानकों तथा मापदण्डों के अनुसार ग्रेवल की सड़क का निर्माण पुल-पुलियों सहित किए जाने का प्रावधान था। योजना अंतर्गत वर्तमान में पात्र 8327 ग्रामों को जोडने के लिए 6665 सड़कें जिनकी लंबाई 15,616 किलोमीटर है के निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए।

बारहमासी सड़कों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों के अनुसार प्रोजेक्ट मोड में पूर्ण किया जाना है। निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा है। अब तक द्वितीय व तृतीय चरण के 13 जिलों के कार्य मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को सौंपे गये हैं।

नियोजन : प्रदेश के सभी ऐसे ग्राम जिनमें एक भी सड़क सम्पर्क नहीं है उनका चिन्हांकन किया जाकर कार्यों की सूची को जिला योजना समिति अथवा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुमोदित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों में भूमि अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि कहीं पर किसी व्यक्ति की निजी भूमि आती है तो उसकी सहमति प्राप्त कर शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर अदला बदली या शासन के नाम पर दान पत्र प्राप्त किया जाता है। सड़क का निर्माण जिले की निकटतम पक्की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग प्रमुख जिले, अन्य जिले, ग्रामीण सड़कों से लेकर ग्राम/बसाहट के प्रारंभ तक किया जा रहा है।

कार्य संपादन : विभिन्न स्तरों से निर्माण

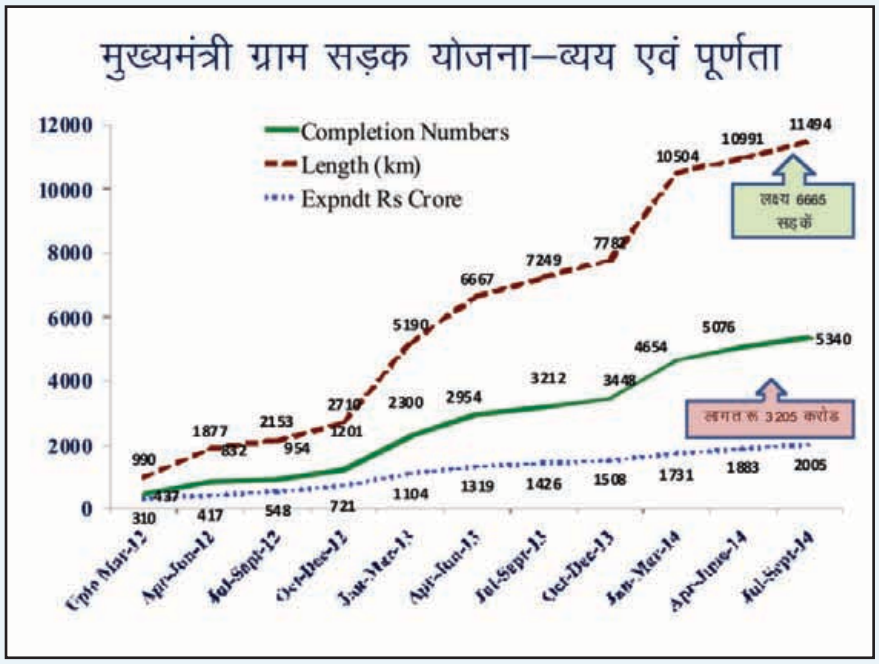

कार्य स्वीकृति की प्रक्रियाएं पूर्ण करवाने के उपरांत कार्य के स्वरूप के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तथा योग्य और अर्हता प्राप्त ठेकेदारों से निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

गुणवत्ता : योजना में निर्मित की जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षण, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा पर्यवेक्षण के लिए जहां आवश्यक है फील्ड कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की गई। प्रत्येक निर्माण कार्य के विभिन्न अवयवों की गुणवत्ता की जांच मैदान एवं जिलों में स्थित सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाता है।

गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित प्रक्रिया तथा आवृत्ति में कराये जा रहे हैं। वर्तमान में जिलों में उपलब्ध विभागीय प्रयोगशाला एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रयोगशालाओं के उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। ठेकेदार एवं कंसल्टेंट के पास उपलब्ध उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से गुणवत्ता की जांच करने के लिए सेवा निवृत्त वरिष्ठ इंजीनियरों को स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी का कार्य नियमित रूप से दिया जाता है।

सड़कों का संधारण : योजना के अंतर्गत ग्रेवल सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क की डिजाइन 5 वर्ष के लिए की गई है। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्णता के उपरांत 2 वर्ष तक संधारण कार्य की गारंटी दी गई है। संधारण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किए जाने का प्रावधान है।

अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण : इस महत्वाकांक्षी योजना का अनुश्रवण जिला एवं राजस्व संभाग स्तर पर तो गंभीरता से किया ही जाता है परन्तु राज्य स्तर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों के अलावा

विकास आयुक्त, मुख्य सचिव, माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी नियमित रूप से किया जाता है।

उपलब्धि : इस योजना में अब तक लगभग 5900 ग्रामों को बारहमासी ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा चुका है जिसके लिए 5382 सडकें जिनकी लंबाई लगभग 11,800 किलोमीटर है पूर्ण की जा चुकी हैं। इस योजना में अब तक लगभग रुपये 2029 करोड़ का व्यय संपन्न हुआ है।

राज्य सरकार ने सभी ग्रामीण बसाहटों को सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। सबसे पहले उन ग्रामों को लिया गया जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तैयार किए गए कोर नेटवर्क में सड़क सम्पर्कविहीन ग्राम थे। विभिन्न जिलों में ऐसा पाया गया है कि कुछ नए राजस्व ग्राम बने हैं, ऐसा भी पाया गया कि कुछ ग्राम कोर नेटवर्क में छूट गए थे।

अभी हाल ही में राज्य सरकार ने ऐसे छूटे हुए लगभग 2400 ग्रामों को जोड़ने का भी निर्णय लिया है और प्राथमिक आकलनों से लगभग 5000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें इस काम के लिए पूर्ण करनी होंगी। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा सर्वेक्षण आदि का कार्य प्रारंभ करके इन सड़कों के निर्माण की भी तैयारी की जा रही है।

ग्रेवल की सड़कों से अत्यंत प्रभावकारी ग्रामीण सड़क सम्पर्क तो हो ही जाता है परन्तु कुछ स्थानों पर जहां ज्यादा यातायात होता है धूल आदि उड़ने की समस्या के दृष्टिगत ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेषित किए गए हैं।

• **प्रभाकांत कटारे**
प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

एकीकृत कार्ययोजना

सुदूर अंचलों में बन रही हैं सड़कें

देश में नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा एकीकृत कार्ययोजना चलाई जा रही है। नक्सल प्रभावित अंचलों में जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने में मध्यप्रदेश देश के 8 अन्य राज्यों से अग्रणी है। प्रदेश में एकीकृत कार्ययोजना (आईएपी) के जरिए बड़े पैमाने पर बारहमासी पक्की सड़कें बिजली, पेयजल, आंगनवाड़ी भवन जैसे निर्माण तेजी से पूरे हो रहे हैं। योजना के सतत पर्यवेक्षण से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हुई है। भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा संचालित यह योजना मध्यप्रदेश के सीधी, मण्डला, अनूपपुर, डिण्डौरी, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, सिवनी, सिंगरौली और छिन्दवाड़ा सहित 10 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। वर्ष 2013 में एकीकृत कार्ययोजना का नाम बदलकर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना किया गया है। जिले में इस योजना का संचालन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करती है।

पुलिस अधीक्षक तथा वन मंडलाधिकारी समिति के सदस्य हैं। समिति जिले के विकास की आवश्यकताओं का आकलन कर योजना के तहत प्राप्त राशि का उपयोग सुनिश्चित करती है। इस योजना में अब तक 888.38 करोड़ रुपये की राशि हासिल हुई है।

एकीकृत कार्य योजना में अब तक 2282 आंगनवाड़ी भवन, 79 आश्रम स्कूल, 317 सामुदायिक भवन, 2567 पेयजल के कार्य, 333 विद्युतीकरण के कार्य, 587 गोदाम भवन, 299 स्वास्थ्य केन्द्र, 501 स्कूल भवन, 9 पशु औषधालय भवन, 2901 ग्रामीण सड़कें, 365 लघु सिंचाई के कार्य, 242 कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, 257 आजीविका गतिविधियाँ और 2894 अन्य विकास कार्य कराये गए हैं।

- वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्रत्येक जिले को क्रमशः राशि रुपये 25 करोड़ एवं रुपये 30 करोड़ (प्रदेश के आठ जिलों हेतु कुल राशि रुपये 440 करोड़) प्राप्त हुई।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रत्येक जिले के लिये राशि रुपये 30 करोड़ कुल राशि रुपये 300 करोड़ प्राप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2013-14 से जिलों को मिलने वाली वार्षिक राशि का प्रावधान 30 करोड़ दो किश्तों में जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2013-14 के लिये भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त का आवंटन प्रति जिला 10 करोड़ के मान से 10 जिलों के लिये 100 करोड़ प्रदेश को प्राप्त हुआ एवं द्वितीय किश्त 6 जिलों के लिये राशि रु. 48.38 करोड़ प्राप्त है।

माह अक्टूबर 2014 के द्वितीय सप्ताह में वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रत्येक जिले के लिये राशि रुपये 20 करोड़ के मान से 10 जिलों के लिये कुल राशि रुपये 200 करोड़ प्राप्त हुई।

इस प्रकार से योजनान्तर्गत योजना प्रारंभ से वर्ष 2014-15 तक कुल राशि रुपये 1088.38 करोड़ प्राप्त हुई है। जिसके विरुद्ध राशि रुपये 845.37 करोड़ (77.67 प्रतिशत) व्यय की जा चुकी है।

● प्रियंका पाठक

गाँव के भीतर पक्का रास्ता

पंच-परमेश्वर योजना

मध्यप्रदेश में सुदूर अंचलों तक बारहमासी सड़कों के इंतजाम के साथ-साथ अब हर गाँव में आंतरिक मार्गों को सीमेंट कांक्रीट वाले पक्के रास्तों के रूप में निर्मित किया जा रहा है। हर गाँव की गलियां और रास्ते सीसी रोड में बदल रहे हैं और वहाँ गंदे पानी की निकासी के लिये पक्की नालियां भी बन रही हैं। प्रदेश के हर गाँव में कीचड़ और गंदगी से मुक्त तथा स्वच्छता का वातावरण निर्मित हो इस मकसद से शुरू की गई पंच-परमेश्वर योजना में हर साल ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के मान से एकजाई राशि दी जा रही है। ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में मिलने वाली राशि को पंच-परमेश्वर योजना के तहत एकजाई कर सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। इससे पहले ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली राशि टुकड़ों में मिलती थी इस वजह से गाँवों के विकास के काम भी टुकड़ों में होते थे। इस अनूठी योजना से इस खामी को दूर करने में मदद मिली है, और एकजाई राशि मिलने से हर गाँव में आंतरिक मार्गों के

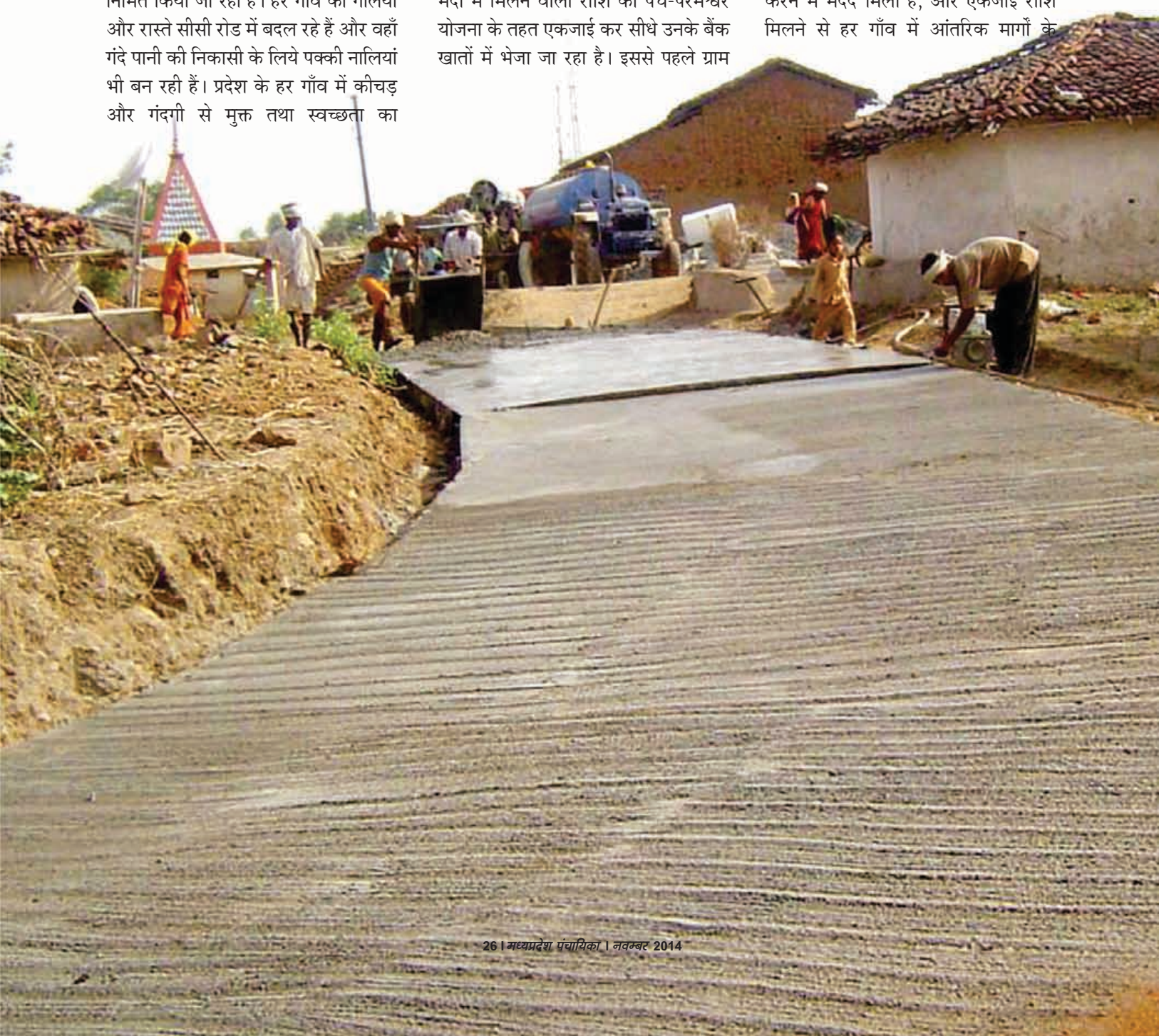

विकास के काम तेजी से पूरे हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश में पंच-परमेश्वर योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अब तक 4309.82 करोड़ रुपये का आवंटन पिछले 3 वर्षों में मुहैया कराया गया है। पंचायतों को उनकी आबादी के मान से 5 से 15 लाख रुपये तक की राशि दी जा रही है और इस राशि से गाँव में आंतरिक मार्गों का विकास तथा स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के काम सफलतापूर्वक हो रहे हैं। पंच-परमेश्वर योजना से गाँव में बुनियादी सुविधाओं के विकास में व्यापक मदद मिल रही है। इस योजना में दी जा रही राशि और मनरेगा योजना के साथ अभिसरण कर गाँव में सीमेंट कांक्रीट रोड और नालियों का निर्माण हो रहा है। अब तक इस योजना में 5925.88 कि.मी. आंतरिक मार्गों का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी 23006 पंचायतों को पंच-परमेश्वर योजना में पिछले वर्षों में 4309.82 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। इससे 78576 कार्य मंजूर किये गये हैं और 49122 काम पूरे हो चुके हैं। ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम विकास में उनका योगदान प्रभावशाली ढंग से रहे, इसके लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में मिलने वाली राशि "पंच-परमेश्वर योजना" के तहत ग्राम पंचायतों को बैंक खाते में RTGS के तहत सीधे अंतरित की जा रही है।

- ग्राम पंचायतों को एकीकृत बजट के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले राशियों में निम्न योजना एवं कार्यक्रम को शामिल किया गया है :-

(i) तेरहवें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त होने वाला बजट (13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप)

(ii) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाला बजट (राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप)

(ii) गौण खनिज मद के अंतर्गत प्राप्त होने वाला बजट

(iv) ग्राम सभाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त होने वाला बजट

(v) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से प्राप्त होने वाला बजट

(vi) पंचायती राज संस्थाओं को परिसम्पत्ति अनुरक्षण हेतु प्राप्त बजट

(vii) पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त बजट।

- वर्ष 2011-12 में पंच-परमेश्वर योजना में ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये, जिसमें जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है :-

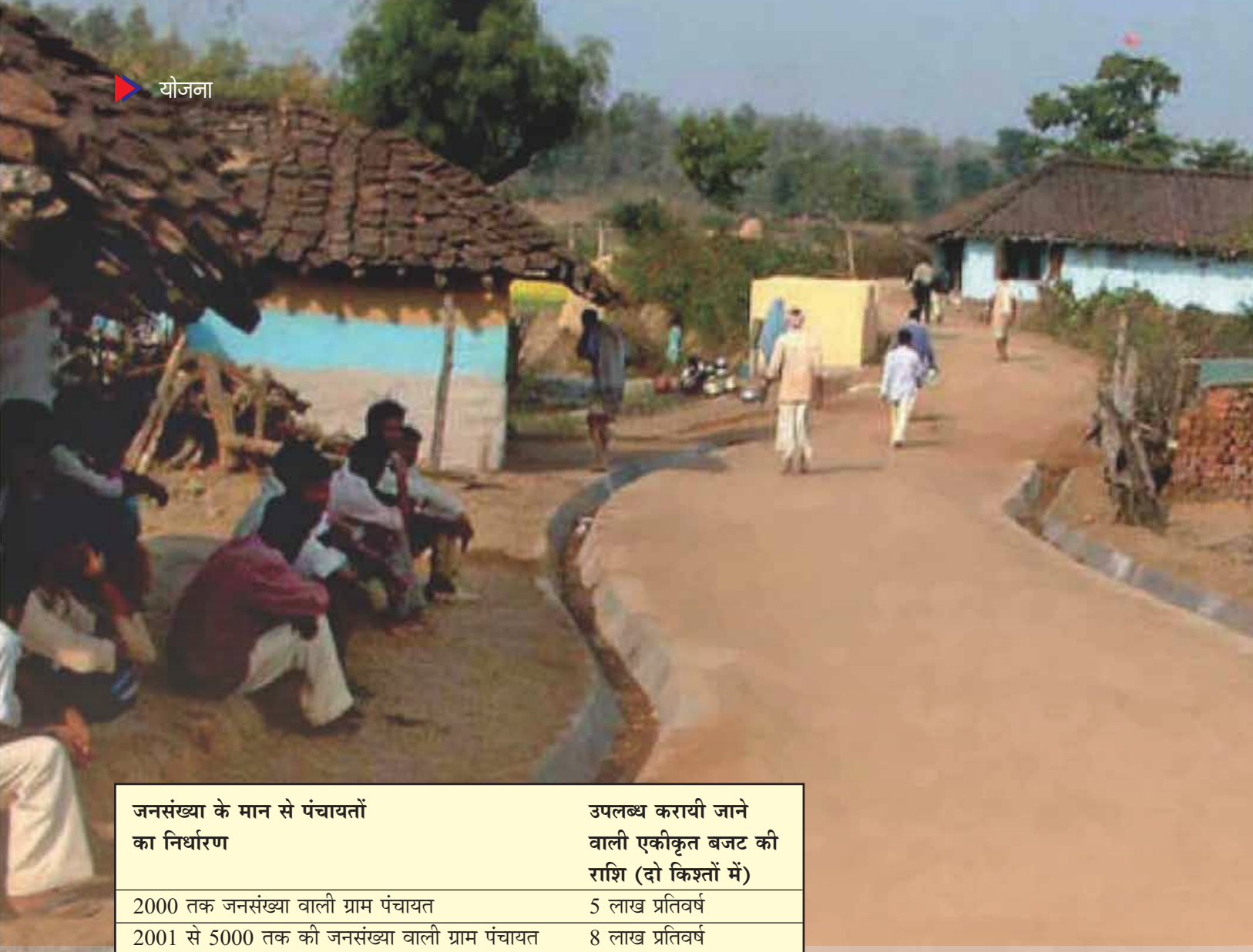

जनसंख्या के मान से पंचायतों का निर्धारण	उपलब्ध करायी जाने वाली एकीकृत बजट की राशि (दो किश्तों में)
2000 तक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	5 लाख प्रतिवर्ष
2001 से 5000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	8 लाख प्रतिवर्ष
5001 से 10000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	10 लाख प्रतिवर्ष
10001 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	15 लाख प्रतिवर्ष

- एकीकृत कार्ययोजना में पहले इस तरह कार्य कराने का निर्देश है -

(i) ग्राम के भीतर नाली सहित आंतरिक रोड निर्माण।

(ii) पूर्व में स्वीकृत आंगनवाड़ी के भवनविहीन ग्रामों में आंगनवाड़ी भवन निर्माण।

(iii) पुराने पंचायत भवनों में ई-पंचायत कार्य हेतु 200 वर्गफीट का नक्शे के अनुसार ई-पंचायत कक्ष का निर्माण।

(iv) प्रत्येक ग्राम पंचायत प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत उपयोग परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं सफाई कार्य तथा इसमें हैण्डपम्प के रखरखाव के लिए व्यय कर सकेगी। कार्यों की पूर्ति होने के बाद भी ग्राम पंचायतें अन्य कार्य ले सकेंगी, जो इन योजनाओं में वर्णित हैं।

- पंच-परमेश्वर योजना से गांवों की अधोसंरचना निर्माण और अधिक आसान हो गई है। योजना में प्रमुख रूप से सीसी रोड और पक्की नालियों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के कार्यों में मनरेगा योजना से श्रम संबंधी कार्य कराने के आधार पर कन्वर्जेन्स (अभिसरण) के माध्यम से उपलब्ध करायी गई राशि के कई गुने तक विकास कार्य किये जाने के निर्देश योजना में प्रावधानित हैं।

● हेमलता हुरमाड़े

बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)

पंचायती राज मंत्रालय, भारत शासन की बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना प्रदेश में सन् 2006-07 से लागू है। पहले यह योजना प्रदेश के 24 जिलों में संचालित थी। वर्ष 2012-13 से यह योजना प्रदेश के 30 जिलों में संचालित है, जिसमें से पाँच जिलों (बुरहानपुर, अलीराजपुर, अशोकनगर, अनूपपुर एवं सिंगरौली) को पृथक रूप से भारत शासन स्तर पर मान्य करते हुए योजनान्तर्गत चिन्हित किया गया। पूर्व में इन जिलों को खण्डवा, झाबुआ, गुना, शहडोल एवं सीधी जिलों के साथ संयुक्त रूप से भारत शासन द्वारा राशि जारी की जाती थी। इसके अलावा छिंदवाड़ा जिला नवीन जिले के रूप में वर्ष 2012-13 से योजनान्तर्गत शामिल किया गया।

उद्देश्य

बीआरजीएफ योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों की क्षेत्रीय असमान्यताओं को दूर कर समान करना है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष की विकास मद में दी जाने वाली निधि का उपयोग ऐसे आधारभूत कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए केन्द्र अथवा राज्य शासन की अन्य योजनाओं में राशि उपलब्ध नहीं है, अर्थात बीआरजीएफ योजना पिछड़े क्षेत्रों के संपूर्ण विकास में गैप फिलिंग का कार्य करती है। योजना का उद्देश्य स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की नाजुक कड़ियों को जोड़कर, मौजूदा व्यवस्था को ठीक करना है। योजना द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये अन्य दायित्वों में सुधार कर, क्षेत्र के विकास में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के लिये स्थानीय क्षमता का विकास करना है, ताकि समस्त स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर कमियों को दूर किया जा सके।

वित्तीय प्रावधान

बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना में भारत शासन द्वारा विकास मद तथा प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास मद में राशि का आवंटन किया जाता है। विकास मद के अंतर्गत प्रत्येक जिले का वित्तीय प्रावधान जिले की कुल जनसंख्या तथा भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाता है। प्रत्येक जिले का मूल प्रावधान राशि रुपये 10.00 करोड़ है। शेष राशि जिले की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर टॉपअप के रूप में नियत किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिये पंचायत राज पदाधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास के लिये प्रत्येक जिले के लिये प्रतिवर्ष राशि रुपये 1.00 करोड़ रुपये निर्धारित है। इस प्रकार योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए विकास मद में राशि रुपये 617.20 करोड़ तथा प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिये राशि 30.00 रुपये करोड़ प्रतिवर्ष प्रावधानित है।

क्र.	जिला	प्रावधानित राशि (वर्ष 2014-15)	क्र.	जिला	प्रावधानित राशि (वर्ष 2014-15)	क्र.	जिला	प्रावधानित राशि (वर्ष 2014-15)
1.	बालाघाट	2390.00	11.	झाबुआ	1723.00	21.	सतना	2344.00
2.	बड़वानी	1922.00	12.	अलीराजपुर	1525.00	22.	सिवनी	2244.00
3.	बैतूल	2432.00	13.	कटनी	1883.00	23.	शहडोल	1924.00
4.	छतरपुर	2332.00	14.	खण्डवा	2034.00	24.	अनूपपुर	1669.00
5.	छिंदवाड़ा	2791.00	15.	बुरहानपुर	1635.00	25.	श्योपुर	1877.00
6.	दमोह	2091.00	16.	खरगौन	2290.00	26.	शिवपुरी	2467.00
7.	धार	2363.00	17.	मण्डला	1893.00	27.	सीधी	2312.00
8.	डिण्डौरी	1958.00	18.	पन्ना	2004.00	28.	सिंगरौली	1930.00
9.	गुना	2016.00	19.	राजगढ़	2039.00	29.	टीकमगढ़	1923.00
10.	अशोकनगर	1758.00	20.	रीवा	2271.00	30.	उमरिया	1680.00

कार्ययोजना का निर्धारण

भारत शासन से जिले द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर जिले को आबंटन प्रदाय किया जाता है। जिले के लिये निर्धारित प्रावधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायतों के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाती है। योजना में कार्यों का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में कार्यों का निर्धारण वार्ड सभाओं के माध्यम से किया जाता है। ग्रामसभा और वार्ड सभा से अनुमोदित कार्यों को एकीकृत कर कार्ययोजना का अंतिम अनुमोदन जिला योजना समिति द्वारा किया जाता है। जिलों की तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना 100 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत दो भागों में तैयार की जाती है अर्थात प्रत्येक जिले की कुल प्रावधानित राशि के 150 प्रतिशत की कार्ययोजना तैयार की जाती है।

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 तक जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित जिलों की कार्ययोजनाओं को हाईपावर कमेटी के अनुमोदन उपरान्त भारत शासन को प्रेषित किये जाते थे। लेकिन वर्ष 2011-12 में भारत शासन द्वारा बीआरजीएफ की मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया, जिसमें जिला योजना समिति को ही कार्ययोजना अनुमोदन के लिये अधिकृत समिति निर्धारित किया गया है। वर्ष 2011-12 से जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना को सीधे भारत शासन को भेजा जाता है।

अनुदान निधि का वितरण तथा आवंटन

भारत शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर जिलों की राशि स्टेट बजट में हस्तांतरित की जाती है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2010-11 तक भारत शासन द्वारा एक मद में राशि प्रदाय की जाती थी, परंतु वर्ष 2011-12 से यह राशि एसटी, एससी तथा नॉन एसटी-एससी मद में प्रदाय की जाती है।

स्टेट बजट में राशि प्राप्त होने के पश्चात् BCO के रूप में आयुक्त, पंचायत राज द्वारा राज्य कोषालय से राशि आहरित की जाकर नोडल बैंक (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के अंतर्गत खोले गये पृथक-पृथक खातों में कार्ययोजनाओं के अनुमोदित कार्यों के लिए कार्यवार आरटीजीएस के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है।

योजनान्तर्गत कार्य एजेंसी का निर्धारण

बीआरजीएफ अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिये कार्य एजेंसी के रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा नगरीय निकायों को निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 15.00 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को संपन्न कराने के लिये ग्राम पंचायतें स्वयं कार्य एजेंसी हैं। इससे अधिक लागत राशि के कार्यों के लिये कार्य एजेंसी जिला पंचायत निर्धारित की गई है। जिला पंचायत इन कार्यों के लिए जिलों में कार्यरत वर्क डिपार्टमेन्ट जैसे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, एलयूएन आदि को कार्य एजेंसी के रूप में चयनित करती है। यह कार्य टेण्डर के माध्यम से कराया जाता है। नगरीय निकायों में योजना के कार्य शासन के निर्देशानुसार किया जाता है।

प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास मद अंतर्गत प्राप्त राशि से एसआईआरडी, जबलपुर द्वारा पंचायतों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

राशि (लाख में)

वर्ष	वित्तीय			भौतिक		
	कुल लागत	कुल व्यय	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	कार्य प्रगति पर	कार्य जो प्रारंभ नहीं हुए
1	2	3	4	5	6	7
2006-07	4266.88	4175.50	1341	1341	0	0
2007-08	41463.79	41113.50	21254	21195	59	0
2008-09	30407.19	28778.30	17812	17728	82	2
2009-10	37819.22	36788.86	18891	18709	179	3
2010-11	38173.57	36258.90	19574	18753	773	48
2011-12	42919.65	37490.67	20607	18423	2120	64
2012-13	50191.06	34024.27	9608	5011	4454	143
2013-14	21744.70	12831.98	3675	1120	2193	362
Grant Total	**266986.05**	**231461.97**	**112762**	**102280**	**9860**	**622**

बीआरजीएफ योजनान्तर्गत योजना प्रारंभ से अब तक किये गये महत्वपूर्ण कार्य

कार्य का नाम	कार्य संख्या	व्यय राशि (लाख में)
उप स्वास्थ्य केन्द	682	4953.24
आंगनवाड़ी	12180	50055.12
हैण्डपम्प ट्यूबवेल	580	631.92
सड़क निर्माण	3279	19063.71
पुलिया निर्माण	7056	26476.768
अपना घर	64203	23701.92
पंचायत भवन	3189	16611.27
सामुदायिक भवन	2254	14865.95
ई-पंचायत	386	2675.3

● भीम भाई पटेल

मध्यप्रदेश की नई पहल

सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना

खेती को लाभ का धंधा बनाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी मंशा को साकार करने के लिये जरूरी थी खेतों तक उन्नत तकनीकी की पहुंच होना। आधुनिक कृषि यंत्रों एवं उन्नत तकनीकी को खेतों तक पहुंचाने तथा गांवों में छोटे-छोटे मंजरे-टोलों में आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से मनरेगा अंतर्गत सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क योजना प्रारंभ की गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें तैयार की जा रही हैं जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं लिए जा सके हैं। कई गांवों के मजरे टोले तथा खेत समूहों के लिए सड़कें एवं मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक से अधिक सड़क सम्पर्क की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है। मनरेगा की सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश में 9133.55 किलोमीटर ग्रेवल सड़क बनायी जाना हैं जिसकी अनुमानित लागत 1187.36 करोड़ रुपये होगी।

बिना पुल-पुलियों के निर्माण कार्य सम्पन्न किए सड़क सम्पर्क पूर्ण नहीं हो सकता अतः पुल-पुलियों का निर्माण कार्य भी इस उपयोजना में सम्पन्न किया जा रहा है। मनरेगा में निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 को ध्यान में रखते हुए तथा जरूरत पड़ने पर अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से यह कार्य पूरा कराया जा रहा है।

मुख्य सड़क से जोड़े जाने के लिए पुल-पुलियों सहित ग्रेवल की सड़क से उपलब्ध करवाये जाने वाला सड़क सम्पर्क CMGSY मापदण्ड अनुसार ही होगी।

पुल पुलियों सहित ग्रेवल सड़कें तब तक टिकाऊ नहीं हो सकतीं जब तक की उन पर आवश्यकतानुसार संधारण कार्य न किया जाए। इसके लिए संधारण को निर्माण से संबद्ध करते हुए इन सड़क निर्माण कार्यों को दो भागों में बनाने का प्रावधान किया गया।

प्रथम भाग पुल पुलियों सहित सड़क निर्माण का तथा दूसरा भाग निर्माण पूर्ण होने के बाद 2 वर्ष तक सड़क के संधारण के लिए। तकनीकी प्रतिवेदन तैयार करना अनिवार्य है। तकनीकी प्रतिवेदन में निर्माण कार्य की उपयोगिता के रूप में लाभान्वित होने वाले ग्राम, मजरे-टोले उनकी जनसंख्या का उल्लेख किया जावेगा। ग्राम के उत्पादक केन्द्रों अर्थात् खेत से सड़क संपर्क जोड़े जाने पर लाभान्वित होने वाले कृषक समूह, भूमि हैक्टेयर में व संभावित कृषि उपज की मात्रा जिसका परिवहन खेत से घर तक या कृषि उपज मंडी तथा अन्य विक्रय केन्द्र तक होना है, ऐसे स्थलों का विवरण देते हुए परिवहन कार्य में होने वाली समय की बचत का भी उल्लेख सड़क निर्माण से होने वाले आउटकम के रूप में किया जावेगा। इसी तरह निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी दो भागों में है। निर्माण कार्य भाग-1 में पुल पुलियों सहित सड़क निर्माण की तकनीकी स्वीकृति एवं संधारण कार्य भाग-2 की तकनीकी स्वीकृति पश्चात प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का प्रवधान किया गया है।

इन कार्यों का संपादन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा सकेगा। इन सड़कों पर आने वाले पुल-पुलियों का निर्माण सड़क के साथ करने में यदि मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुसार 60:40 होता है तो इस अनुपात को संधारित करते हुए पुल-पुलियों का कार्य भी सड़क के साथ ही शामिल करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जावेगा। यदि सड़क पर आने वाले पुल-पुलिया के निर्माण को करने में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुसार 60:40 नहीं होता है तो भी प्रोजेक्ट की स्वीकृति पुल-पुलियों सहित ही की जावेगी। जरूरत पड़ने पर जन सहयोग की राशि से कन्वर्जेंस किया जा सकता है।

वित्तीय व्यवस्था तथा लेखा संधारण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पूर्ण नियम लागू होते हुए इन निर्माण कार्यों के लिए राशि की व्यवस्था इस योजना से की जाती है। कार्य की एजेन्सी ग्राम पंचायत होने के कारण लेखा संधारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है तथा आंकेक्षण संबंधित एजेन्सी, महालेखाकार और सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक कार्य का सामाजिक आंकेक्षण नियमानुसार ग्राम सभा में होता है।

कार्यों का क्रियान्वयन : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संपन्न हो रहे अन्य कार्यों की तरह ग्राम पंचायत के कार्यों के लिये जारी नवीन परिपत्र क्र. 2 दिनांक 20.02.2013 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ही ई-मस्टर रोल पद्धति से इन कार्यों का संपादन हो रहा है।

ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर कार्य का प्रचार-प्रसार करते हुए उपयंत्री की सहायता से सेटिंग आउट (ले-आउट) दिया जाता है जिससे अकुशल श्रम के इच्छुक जाबकार्डधारी मजदूरों को आसानी से कार्य उपलब्ध होगा। प्रत्येक निर्माण कार्य पर एक निर्धारित पक्का सूचना फलक लगाया जाता है।

इन निर्माण कार्यों में मिट्टी तथा ग्रेवल का कार्य तो होना है परन्तु मिट्टी और ग्रेवल के परिवहन, पानी के छिड़काव एवं काम्पेक्शन करने के लिए निर्धारित ट्रक या ट्रेक्टर, पानी का टैंकर और रोलरों की आवश्यकता होती है इसके लिए व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। निर्माण कार्य संपादन करने की योजना उपयंत्री के मार्गदर्शन में तैयार करें।

तकनीकी मार्गदर्शन के लिये उपयंत्री निर्माण कार्य संपादन में आवश्यक सामग्री एवं शिल्प कौशल के लिए निर्धारित प्रयोगशाला तथा फील्ड टेस्टिंग का कार्य वे स्वयं संपन्न करते हैं। यह ग्राम पंचायत एवं उपयंत्री का सम्मिलित दायित्व होगा कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता का ही हो।

मूल्यांकन का कार्य संबंधित उपयंत्री मनरेगा अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा साप्तहिक मस्टर रोल क्लोजर से 3 दिवस के अंदर किया जाता है। एक अप्रैल 2013 से लागू ईएफएमएस प्रणाली के माध्यम से मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से संबंधितों के बैंक, पोस्ट ऑफिस में प्रचलित खातों में निर्धारित अवधि में की जाती है।

इन सड़कों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये सतत् निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत किये जाने वाले कार्य के अनुरूप ही खेत सड़क निर्माण के कार्यों की भी निरीक्षण तथा निगरानी करने का प्रावधान रखा गया है। उपयंत्री की देखरेख में यह पूरा कार्य संपादित हो रहा है। सहायक यंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी इस कार्य की समय-समय पर जाँच की जा रही है। पर्यवेक्षण किया जाता है। इस योजना में इन सड़कों के रखरखाव का भी समुचित प्रावधान किया गया है।

● **महेश सोनी**

समग्र पोर्टल के जरिये 5.11 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ

सरकारी और निजी स्कूलों के 75 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति

मध्यप्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन द्वारा तैयार किये गये समग्र पोर्टल के जरिये विभागीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक सीधे पहुँचाने के कार्यों की समीक्षा पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने की। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय श्रीमती अरुणा शर्मा मौजूद थीं। मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बैठक में निर्देश दिये कि समग्र के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निदान तत्काल किया जाये। उन्होंने पोस्ट ऑफिस के जरिये मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 20 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने की हिदायत भी दी।

बैठक में बताया गया कि राज्य जनसंख्या पंजी पर दर्ज जानकारियों के आधार पर समग्र पोर्टल से विभिन्न योजना के क्रियान्वयन में आसानी हुई है। प्रमुख सचिव तथा आयुक्त सामाजिक न्याय श्री व्ही.एस. निरंजन ने बताया कि 28 लाख से अधिक पात्र पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन समग्र पोर्टल पर हो चुका है और ऐसे हितग्राहियों के सत्यापित पेंशन प्रस्तावों पर प्रतिमाह जिला-स्तर पर भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। जिन पेंशन हितग्राहियों के बचत खाते बैंक में खुल चुके हैं, उन्हें ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से पेंशन राशि का सीधा भुगतान किया जा रहा है। समग्र के जरिये अपात्र हितग्राहियों को अब पेंशन लाभ से वंचित करने में भी आसानी हुई है।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री अशोक वर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 11 लाख लोगों को चिन्हित कर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। समग्र पोर्टल से राशन की ई-पात्रता पर्ची पात्रता के आधार पर स्वतः अपडेट हो रही है। हितग्राही स्वयं भी पात्रता पर्ची को डाउनलोड कर पात्रता की जाँच कर सकते हैं।

आयुक्त लोक शिक्षण श्री एस.के. पाल ने जानकारी दी कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 30 विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ वितरित की जाती हैं। वर्तमान में समग्र शिक्षा पोर्टल के जरिये सरकारी और निजी स्कूलों के एक करोड़ 54 लाख विद्यार्थी की मेपिंग का काम पूरा हो चुका है। अब तक 82 लाख 86 हजार विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति के लिये आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 75 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मंजूर कर दी गई है।

समीक्षा बैठक में मंत्री श्री भार्गव ने समग्र पोर्टल पर दर्ज डाटा का शुद्धिकरण करने और डुप्लीकेट एन्ट्री का पता लगाकर, ऐसा विवरण पोर्टल से हटाये जाने के लिये भी निर्देशित किया। एक ही बीपीएल नम्बर एक से अधिक परिवारों को यदि जारी किया गया है, तो ऐसे परिवारों का चिन्हांकन कर समग्र पोर्टल से तत्काल हटाया जायेगा। इसके लिये ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के लिये वार्ड प्रभारी और आयुक्त नगरपालिक निगम, मुख्य नगरपालिका/परिषद् अधिकारी जवाबदेह होंगे। शहरी एवं ग्रामीण निकायों में समग्र पोर्टल पर कई परिवारों एवं सदस्यों को एक से अधिक बार यदि पंजीकृत किया गया है, तो ऐसे परिवारों का डुप्लीकेट विवरण भी समय-सीमा में समग्र पोर्टल से हटा दिया जायेगा। जिला कलेक्टर अपनी निगरानी में यह कार्यवाही संपन्न करायेंगे। बैठक में संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजित कुमार तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी श्री विनायक राव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

अब छोटी सड़कें बनाने का जिम्मा ग्रामीण विकास विभाग को

अब हर गाँव जुड़ेगा सड़कों से

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 सितम्बर को भोपाल स्थिति मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कहा है कि 8 - 10 किलोमीटर तक की छोटी सड़कों के निर्माण के कार्य लोक निर्माण से लेकर ग्रामीण विकास विभाग को दिया जायेगा। इन सड़कों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, खेत-सड़क योजना की सड़कें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 2018 तक सभी गाँव की सड़कों से जोड़ने के लिये अभी से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र का विकास दृष्टि-पत्र बनवाने का आग्रह किया गया है। ये दृष्टि-पत्र ग्रामीण विकास विभाग को सौंपे जायेंगे ताकि सड़कों और अन्य कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके।

श्री चौहान ने मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस समारोह के दौरान एक नवम्बर से 7 नवम्बर, 2014 तक किसी एक दिन महिलाओं के स्व-सहायता समूह का सम्मेलन बुलाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण सड़कों के लिये समग्र संधारण नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे केबिनेट के समक्ष विचार के लिये रखा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में देश में सबसे उत्कृष्ट काम किया है। इसमें शेष रह गयी सड़कों की स्वीकृति के लिये केन्द्र से आग्रह किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी सड़कों की नियमित रूप से जाँच होनी चाहिये और निर्माण की गुणवत्ता के प्रति सजग रहने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के लिये नये प्रस्तावों को अभी से तैयार करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बन रही सड़कों पर डामर बिछाने वित्तीय सहायता के लिये विश्व बैंक को भेजे गये प्रस्ताव पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा कान्ट्रेक्टर योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले निर्माण कार्यों में युवाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिये प्रेरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों की उपलब्धता के लिये बनाये जा रहे कस्टम हायरिंग सेंटर में रोड रोलर को भी शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि बैंकों द्वारा हितग्राहियों से भू-अधिकार पत्र की मांग की जाती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए हितग्राहियों को भू-अधिकार प्रमाण पत्र देने के अभियान की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बैंकों को भेजे गये प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की ऑनलाइन समीक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने हितग्राहियों से भी फीडबैक लेने का तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिये।

स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 18 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देना पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। स्वास्थ्य विभाग के अमले पर यह गुरुत्तर जवाबदारी है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं हो। श्री चौहान 29 अक्टूबर को भोपाल में स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना और शिशुओं के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन टीकाकरण शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बताया गया कि अत्याधुनिक वैक्सीन पेंटावेलेंट का टीकाकरण देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश से शुरू हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देने का संकल्प लेकर सेवा का नया इतिहास रचा है। इसकी अनुगूँज पूरे देश में होगी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। रोगों की रोकथाम के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इस दिशा में पेंटावलेंट वैक्सीन सुखद पहल है। तीन टीके कई बीमारियों से बचाव करेंगे। आम नागरिक को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलें इसके निरंतर प्रयास हो रहे हैं। निःशुल्क भोजन, दवाएँ, जाँचें, आकस्मिक चिकित्सा और परिवहन की सेवाएँ दी जा रही हैं। इन प्रयासों के साथ ही चिकित्सक के व्यवहार का भी बहुत महत्व है। उन्होंने विभिन्न प्रसंग का स्मरण करते हुए कहा कि प्रमाणित और निष्ठा से सेवा करने वाले चिकित्सक का दर्जा भगवान के समान होता है। आवश्यकता संवेदनशील व्यवहार और धैर्य की है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएँ जो सबसे पीछे और दूर हैं उन तक प्रभावी ढंग से पहुँचें यह जरूरी है। इसके लिए मुख्यालय से ग्रामीण स्तर तक की इकाइयों को समर्पण के साथ कार्य करना होगा तभी विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवाओं का संकल्प पूरा होगा। श्री चौहान ने कहा कि स्वस्थ भारत अभियान के कई आयाम हैं। स्वच्छता इसका महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छता की महत्ता की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने चिकित्सालयों की सफाई के लिए सप्ताह में एक घंटा देने का आव्हान समुदाय से किया।

परिवार-कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में देश का अव्वल राज्य बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग संकल्पित है। नागरिकों

को 18 स्वास्थ्य सेवाएँ देने का पक्का वादा है। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चिकित्सालयों में प्रतिदिन 25 हजार रोगियों को नि:शुल्क नाश्ता, भोजन मिल रहा है। पचास हजार से अधिक लोगों की 75 तरह की जाँच नि:शुल्क हो रही हैं। साढ़े चार लाख से अधिक रोगियों को नि:शुल्क औषधि का वितरण किया जा रहा है।

स्वागत उद्‌बोधन प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रवीर कृष्ण ने और आभार ज्ञापन सचिव श्रीमती सूरज डामोर ने किया। कार्यक्रम में सांसद श्री आलोक संजर सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भेजा संदेश मध्यप्रदेश की सराहना

शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य सरकार को भेजे गये संदेश का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाचन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि मुझे प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना प्रारंभ करने जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत रोगों के नियंत्रण और रोकथाम पर बल दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह योजना प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए और विशेषकर गरीब और ग्रामीण जनता के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। आपको एवं राज्य की जनता को इस अवसर पर शुभकामनाएँ और बधाई।

स्वच्छता अभियान में किन्नर भी होंगे भागीदार

स्वच्छ भारत और स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान में प्रदेश के किन्नर (ट्रांसजेण्डर) भी भागीदारी निभायेंगे। 14 नवबंर, 2014 से प्रदेश में सर्वप्रथम सीहोर, जबलपुर, अनूपपुर और सागर जिले के रहली विकासखण्ड में किन्नरों के दल जाकर स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता पैदा करेंगे। इसके बाद राज्य के अन्य शहरी और ग्रामीण अंचलों में भी वे इस अभियान से जुड़ेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को भोपाल में संपन्न बैठक में मौजूद अनूपपुर की पूर्व विधायक शबनम मौसी, सागर की पूर्व महापौर कमला मौसी सहित अन्य किन्नर प्रतिनिधियों ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में योगदान का संकल्प व्यक्त किया। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा भी मौजूद थीं।

शबनम मौसी और कमला मौसी ने देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन की सकारात्मक पहल के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव का आभार जताया। उन्होंने यह भी कहा कि किन्नर दल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर-घर जाकर खुले में शौच की वजह से होने वाली दिक्कतों के बारे में जन-जागरूकता लाने में योगदान देंगे। इस अभियान से प्रदेश के किन्नरों को जोड़ने के लिये किन्नर नायकों का राज्य-स्तरीय सम्मेलन भी शीघ्र किया जायेगा।

मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के साथ ही सामाजिक न्याय एवं नि-शक्त जन-कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिये कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य-स्तरीय साधिकार समिति के गठन का आदेश भी शीघ्र जारी किया जा रहा है। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि ट्रांसजेण्डर समुदाय स्वच्छता अभियान के साथ ही प्रदेश की विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रति भी लोगों में जागृति लायें।

प्रधानमंत्री ने की मध्यप्रदेश के विश्व हाथ-धुलाई कीर्तिमान की सराहना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश में स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक बनाने के लिये विगत 15 अक्टूबर को हुए विश्व हाथ-धुलाई कार्यक्रम में विश्व कीर्तिमान बनाये जाने की तारीफ की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 अक्टूबर को मुम्बई में सर एच.एन. रिलायंस फाउण्डेशन अस्पताल के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीमारियों को रोकने में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित करते समय मध्यप्रदेश के इस कीर्तिमान का सराहना के साथ उल्लेख किया।

उल्लेखनीय है कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर मध्यप्रदेश के स्कूली बच्चों ने नया विश्व कीर्तिमान रचा है। पहले विश्व रिकार्ड अर्जेन्टीना, पेरू और मेक्सिको के नाम था। इन तीन देशों में गत 14 अक्टूबर 2011 को अलग-अलग स्थान पर एक साथ 7,40,870 लोगों ने हाथ धोकर गिनीज बुक में कीर्तिमान स्थापित किया था। मध्यप्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने इन तीन देशों द्वारा बनाये गये विश्व कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया। विश्व हाथ-धुलाई दिवस पर प्रदेश के 13 लाख 46 हजार 45 बच्चों ने एकसाथ हाथ-धुलाई अभियान में भागीदारी की।

विश्व हाथ-धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की 19 हजार 735 शालाओं में वृहद हाथ-धुलाई कार्यक्रम में एक साथ भागीदारी कर नया विश्व कीर्तिमान रचा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेशन क्षेत्र, भोपाल के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय हाथ धुलाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्यप्रदेश की सभी 1 लाख 14 हजार शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं और 80 हजार से अधिक आँगनवाड़ियों में साबुन से हाथ धुलाई का कार्यक्रम हुआ।

स्वच्छ भारत के लिये स्वच्छ मध्यप्रदेश बनायें - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आव्हान किया है कि स्वच्छ भारत के लिये स्वच्छ मध्यप्रदेश बनायें। श्री चौहान भोपाल में 21 अक्टूबर को एक करोड़ 69 लाख की लागत से निर्मित जिला पंचायत भवन का लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में भोपाल जिले के प्रत्येक ग्राम में अगली दीपावली तक हर घर में शौचालय निर्माण का संकल्प दिलवाया। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज साथ मिलकर काम करें तो हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार गाँवों में शहरों जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। इसके लिये सड़क, बिजली, पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के बाद अब औद्योगीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भोपाल तथा उसके आसपास एक लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उद्योगों से युवाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों की आमदनी बढ़ेगी। राज्य सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये काम कर रही है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा। नये जिलों में भी इसी तरह के जिला पंचायत भवन बनाये जायेंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 56 हजार किलोमीटर सड़कें बनायी गई हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में

19 हजार किलोमीटर सड़कें बनायी जा रही हैं। पंच-परमेश्वर योजना में ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिये 1400 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये गये हैं। कार्यक्रम को आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना-हिम्मत सिंह ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, विधायक श्री विष्णु खत्री सहित जिला पंचायत के सदस्य, जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

देश के सभी राज्यों में लागू होगी बैंक मित्र योजना

गरीब तबकों के आर्थिक उत्थान के मक़सद से ग्रामीण अँचलों में गठित स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग सुविधाएँ आसानी से मुहैया करवाने के लिये देश के सभी राज्यों में बैंक मित्र योजना लागू होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मध्यप्रदेश में हुए बेहतर कार्यों को देखते हुए देश के अन्य राज्यों में भी बैंक मित्र योजना शुरू की जायेगी। राजधानी भोपाल में 29 अक्टूबर को आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के 16 राज्यों से आये प्रतिनिधियों ने योजना के सफल क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया। कार्यशाला में मध्यप्रदेश के साथ ही गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश और बिहार से आये बैंक प्रतिनिधियों तथा आजीविका मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भागीदारी की।

राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शांति कुमारी ने मध्यप्रदेश में शुरू की गई बैंक मित्र व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि सभी राज्य एनआरएलएम के क्रियान्वयन की रणनीति में बैंक मित्र व्यवस्था को शामिल करें। बैंक मित्रों के चयन, क्षमता संवर्धन और बैंकिंग गतिविधियों से उन्हें जोड़ने के लिये कार्य-योजना शीघ्र तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में सभी राज्य चुनिंदा विकासखण्डों के चयनित क्षेत्र में योजना को प्रभावी रूप से लागू कर स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज सुविधा का लाभ दिलायें।

राज्य आजीविका फोरम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल ने बताया कि बैंक मित्र व्यवस्था से ग्रामीणों और बैंकों के मध्य बेहतर समन्वय बना है। ग्रामीणों में बैंकों तक जाने की झिझक और भय मिटा है, वहीं बैंकों का ग्रामीणों के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। चूँकि बैंक मित्र का चयन समुदाय से ही किया जाता है, इससे बैंक लिंकेज और ऋण वापसी में आसानी हुई है। मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा शत-प्रतिशत ऋण वापसी की जाती है। श्री बेलवाल ने बताया कि ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिये आगामी 5 वर्ष में स्व-सहायता समूहों को 10 हजार करोड़ रुपये का बैंक लिंकेज मुहैया होगा। श्री बेलवाल ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये विभिन्न बैंक से मिल रहे सहयोग के लिये भी आभार जताया।

राज्य-स्तरीय बैंक सलाहकार समिति के समन्वयक श्री उमेश कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा सामूहिक आर्थिक उत्थान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि विगत दिनों राज्य-स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्व-सहायता समूहों के आर्थिक उत्थान के लिये बैंक मित्र योजना को सराहा है। श्री सिंह ने बैंक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे मल्टीपल हेण्डलिंग की जगह स्व-सहायता समूहों को एक ही बैंक से वित्तीय सुविधाएँ मुहैया करवाने पर ध्यान दें। समूहों को दूसरे और तीसरे चरण का बैंक लिंकेज भी समय पर मुहैया करवायें। इस मौके पर नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री राघवेन्द्र, नाबार्ड मध्यप्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजेन्द्र कुलकर्णी, पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक श्री जुत्शी सहित विभिन्न राज्य से आये बैंक प्रतिनिधियों और बैंक मित्रों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। संचालन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नई दिल्ली के मिशन प्रबंधक श्री राजेन्द्र बाबू ने किया।

विश्व बैंक ने सराहा

गरीबी दूर करने के सघन प्रयास सफल

मध्यप्रदेश में आजीविका संवर्धन गतिविधियों के सुनियोजित क्रियान्वयन से गरीबी उन्मूलन में व्यापक सफलता हासिल हुई है। डीपीआईपी परियोजना से लाभांवित हुये प्रदेश के 3.25 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों की कुल वार्षिक आय अब 1377 करोड़ रुपये आंकी गई है। पहले कर्ज के लिये साहूकारों पर निर्भर रहने वाले लाखों गरीब निर्धन परिवार विभिन्न आजीविका गतिविधियों के जरिये 3 से 15 हजार रुपये तक हर माह अर्जित कर रहे हैं। करीब 30 हजार ग्रामीण परिवारों की औसत वार्षिक आय बढ़कर एक लाख से अधिक हो गई है। प्रदेश में संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डीपीआईपी) के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान विश्व बैंक के सुपरविजन मिशन दल ने एकमत से इन उपलब्धियों को सराहा है। प्रदेश में वर्ष 2009 में शुरू हुए जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना में 15 जिलों के 53 विकासखण्ड के 4,806 चयनित गाँवों में आजीविका संवर्धन गतिविधियाँ संचालित हैं। विश्व बैंक के टॉस्क लीडर के साथ एक टीम 17 सितंबर को भोपाल में गरीबी उन्मूलन के सफल प्रयासों का अध्ययन करने पहुंची।

करीब 30 हजार ग्रामीण परिवारों की औसत वार्षिक आय बढ़कर एक लाख से अधिक हो गई है। प्रदेश में वर्ष 2009 में शुरू हुए जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना में 15 जिलों के 53 विकासखण्ड के 4,806 चयनित गाँव में आजीविका संवर्धन गतिविधियाँ संचालित हैं।

विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर श्री केविन क्रॉक फोर्ड के नेतृत्व में प्रदेश के भ्रमण पर आये विश्व बैंक सुपरविजन मिशन दल के सदस्यों ने डीपीआईपी परियोजना में संचालित आजीविका गतिविधियों, नवाचारों और महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। परियोजना समन्वयक डीपीआईपी श्री एल.एम. बेलवाल ने विश्व बैंक दल के सदस्यों को बताया कि प्रदेश में अब तक 35 हजार 235 स्व-सहायता समूहों का गठन हुआ है। इन समूहों से 4 लाख 4 हजार 612 ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जा चुका है। इनमें 1 लाख 9 हजार 836 अनुसूचित-जनजाति और 90 हजार 235 अनुसूचित-जाति के परिवार शामिल हैं। स्व-सहायता समूहों को अब तक आजीविका संवर्धन गतिविधियों के लिये 374.63 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जा चुकी है। समूहों द्वारा अपनी बचत की राशि सहित सदस्य ग्रामीण परिवारों को आजीविका गतिविधियों के लिये 429 करोड़ रुपये की मदद दी गई है। आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये 18 हजार 567 स्व-सहायता समूहों को 148.51 करोड़ रुपये का बैंक लिंकेज किया जा चुका है। श्री बेलवाल ने क्लस्टर आधारित गतिविधियों के अंतर्गत डेयरी, पोल्ट्री और लघु व्यवसाय गतिविधियों की सफलता को भी दर्शाया।

विश्व बैंक के टॉस्क टीम लीडर श्री केविन क्रॉक फोर्ड ने दल के सदस्यों द्वारा किये गये मैदानी भ्रमण के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि स्व-सहायता समूहों की मदद से लाखों गरीब परिवारों के जीवन में सुखद आर्थिक बदलाव आया है। यह समूह ग्रामीण परिवारों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ गाँवों के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव में भी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। महिला सशक्तीकरण के प्रयासों और ग्राम-सभाओं में ग्रामीण महिलाओं की व्यापक भागीदारी से गाँवों की तस्वीर बदली है।

● चित्रा जोशी

एक नवम्बर मध्यप्रदेश स्थापना दिवस

मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश को समृद्ध बनाने में सर्वश्रेष्ठ योग

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवम्बर को भोपाल में आयोजित भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में जन्मे मध्यप्रदेश के माटी पुत्र विश्व प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोदकर को उनकी अभूतपूर्व सेवाओं, उपलब्धियों, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिये मध्यप्रदेश गौरव सम्मान से अंलकृत किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में उत्कृष्ट कार्यों के लिये अधिकारी-कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया।

स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उत्साह से भरपूर संबोधन में नागरिकों का आव्हान किया कि वे अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मध्यप्रदेश को शक्तिशाली और समृद्ध प्रदेश बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। परिश्रम की पराकाष्ठा तथा प्रयत्नों की परिसीमा के जरिये मध्यप्रदेश को देश का ही नहीं विश्व का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनायें। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए और पर्यटन के माध्यम से रोजगार निर्माण करने के लिये वर्ष 2015 को मध्यप्रदेश पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। इस दौरान पूरे विश्व का ध्यान प्रदेश के पर्यटन की ओर आकृष्ट किया जायेगा।

श्री चौहान ने कहा कि कभी पिछड़ा कहलाने वाला मध्यप्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेशकों के लिये आदर्श राज्य बन गया है। आज प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर सबसे ज्यादा 11.08 प्रतिशत है। कृषि विकास में देश सर्वाधिक 24.99 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे सोयाबीन उत्पादन, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से विकास का काम करने, जैविक खेती, दलहन उत्पादन, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने, देश में सबसे बड़े सोलर संयंत्र लगाने में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की प्रगति पर आज हर नागरिक को गर्व होता है। आज प्रदेश दिल्ली को भी बिजली देने में सक्षम है। बिजली, पानी, सड़क के मामले में देश में प्रदेश का नाम है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' की सोच से प्रेरित होकर 'मेक इन मध्यप्रदेश' का आव्हान किया है। उन्होंने निवेशकों और निर्माण उद्योग का आव्हान किया कि वे मध्यप्रदेश आयें और यहाँ निर्माण करें। प्रदेश में हर प्रकार की जरूरी अधोसंरचनात्मक व्यवस्था और सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संदर्भ में कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के 6.89 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से प्रदेश में 17 लाख युवाओं को नौकरी मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं का आव्हान किया कि वे आगे आयें और अपना खुद का उद्योग लगायें। अपनी स्वयं की कंपनी बनायें। रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनें। इसमें राज्य

दान देने का आव्हान

सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में प्रतिभाशाली युवा उद्यमियों को बैंक लोन सहित मार्केटिंग, ब्रांडिंग, तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन देने जैसी अन्य सुविधाएँ भी दी जायेंगी।

मध्यप्रदेश गौरव सम्मान से विभूषित परमाणु वैज्ञानिक डॉ. काकोदकर ने अपने सम्मान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें विशिष्ट अनुभूति का अनुभव हो रहा है। कार्यक्रम में संस्कृति राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा ने कहा कि मध्यप्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत है। मध्यप्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मध्यप्रदेश के राज्योत्सव के रूप में मनाया गया। महाकवि कालिदास की कालजयी रचना मेघदूतम् पर केन्द्रित 350 से अधिक कलाकारों की समवेत सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई। प्रस्तुति का संयोजन सुश्री मैत्रेयी पहाड़ी द्वारा किया गया। विख्यात संगीतकार विशाल और शेखर के निर्देशन में आकर्षक सांगीतिक प्रस्तुति ने विशाल संख्या में उपस्थित सुधी दर्शकों का मन मोह लिया।

मुख्यमंत्री ने किया मंत्रालय भवन विस्तार का शिलान्यास

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय के 346 करोड़ लागत के विस्तार भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह केवल ईंट-पत्थर का भवन नहीं बल्कि विकास का मंदिर है। अधिकारी-कर्मचारी साढ़े सात करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर प्रदेश को हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बनाने के लिये संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। श्री चौहान ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को मध्यप्रदेश के विकास में जुटने का संकल्प दिलाया।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि, सिंचाई, अधोसंरचना, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में विकास किया है। यह विकास पड़ाव है, मंजिल नहीं। उन्होंने उपस्थित शासकीय अमले से कहा कि लगन, मेहनत, ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम कर प्रदेश के विकास में योगदान दें। सरकारी सेवाएँ जनता को बिना किसी बाधा के उपलब्ध करवायें। हर अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करे। उनके द्वारा किये गये कार्य का असर प्रदेश की जनता पर होता है।

अपने हाथों अपना विकास

समुदाय विकास प्रशिक्षण संस्थान

ग्रामीण महिलाओं द्वारा गठित स्व-सहायता समूह तथा उनके ग्राम स्तरीय संगठनों की निरन्तर क्षमतावर्धन के लिये समुदाय में उपलब्ध क्षमताओं का विकास कर समुदाय के प्रशिक्षण में उपयोग करने के लिये राजगढ़ जिले में सामुदयिक संस्था विकास प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई है। परियोजना के अभी तक के अनुभव के अधार पर यह पाया गया है कि स्व-सहायता समूह तथा ग्राम संगठन की अवधारणा की समझ जिन ग्रामों में सामुदायिक नेतृत्व में विकसित हो गई है उन गांवों में समूह तथा ग्राम संगठन के संचालन से अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। सामुदायिक नेतृत्व के ज्ञान का उपयोग अन्य सामुदाय को प्राप्त हो और ज्ञान के आदान प्रदान की भाषा और माध्यम सहज व सरल हो इसके लिये आवश्यक है कि समुदाय को सामुदाय द्वारा ही प्रशिक्षित किया जाये। प्रशिक्षण अपने आप में एक बोझिल और तकनीकी विषय होने के कारण इसको रुचिकर बनाने के लिये जीवंत उदाहरण के रूप में समूह और ग्राम संगठन की बैठकों का अवलोकन सामुदाय को प्रशिक्षण के समय उपलब्ध रहे। साथ ही उन्हें यह विश्वास रहे कि जो कार्य दिखाये जा रहे हैं उन्हें वे भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुये प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण की रूपरेखा तथा कार्यक्रम तैयार किये गये हैं जिसमें सफल समूहों और ग्राम संगठन की महिलायें उसमें वस्तु विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण देती हैं। साथ में समूहों का तथा ग्राम संगठन की बैठकों का भ्रमण कराया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिणार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिये बेहतर भोजन, आवास साथ ही मनोरंजन के लिये खेलकूद लायब्रेरी तथा टीवी की व्यवस्था की गई है।

अब तक प्रशिक्षण केंद्र से 400 प्रशिणार्थियों ने विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं। इससे प्रशिक्षण केद्र को छः लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। तथा लाभ की राशि से जैविक कीट नियंत्रण प्रणाली और कृषि लागत घटाने की विधियों का प्रदर्शन प्रक्षेत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही लायब्रेरी का भी विस्तार किया गया है। प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिले में आठ संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण हुआ है। ग्राम ज्योतियों द्वारा केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करके 15 गांवों में 250 समूहों का निर्माण गैर सघन क्षेत्र एनआरएलएम में किया गया है।

वित्तीय आत्मनिर्भरता :- जिले में 12 स्व-सहायता समूहों के संकुल स्तरीय संगठन पंजीकृत हैं। इनमें से प्रत्येक संगठन में 200 समूह सदस्य हैं। ये प्रत्येक समूह 1200 रुपये प्रतिवर्ष संकुल स्तरीय संगठन को सेवा शुल्क के तौर पर देते हैं। तकरीबन 200 समूहों से संकुल स्तरीय संगठन को 2,40,000 रुपये की आय होती है। इस राशि का उपयोग संकुल स्तरीय संगठन समूहों की क्षमतावर्धन समूह का प्रशिक्षण, समूह का बैंक लिंकेंज के तौर पर किया जाता है। इस संगठन द्वारा एक वर्ष का प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया जाता है। जिसके अनुसार समय-समय पर समूहों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार जिले के समस्त संकुल स्तरीय संगठनों से लगभग 12.00 लाख रुपये का प्रशिक्षण व्यवसाय समुदायिक संचालित प्रशिक्षण स्कूल को प्राप्त होता है।

केस स्टडी - राजगढ़ जिले में सामुदायिक संचालित समुदाय संस्था विकास प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण हो चुका है। इस प्रशिक्षण केन्द्र पर समुदाय की महिलाओं द्वारा

प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण केन्द्र की महिलायें अन्य जिलों में जाकर स्व-सहायता समूह अवधारणा का प्रशिक्षण देती हैं।

इस संगठन की महिलाओं द्वारा जिला अलीराजपुर में जाकर समूह गठन का कार्य किया गया। अलग-अलग दलों में जाकर 15 दिवसीय प्रशिक्षण ग्रामों में दिया गया तथा सशक्त समूहों का निर्माण किया गया। ये समूह वर्तमान में सशक्त होकर पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं।

अलीराजपुर का जिला स्तरीय तथा संकुल स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी राजगढ़ जिले में आकर ग्राम संगठन निर्माण पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। उसी प्रकार स्व-सहायता समूह के अध्यक्षों का दल प्रशिक्षण केन्द्र राजगढ़ में आकर ग्राम संगठन की अवधारणा का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अलीराजपुर में एक वर्ष का पूरा कार्य इस प्रशिक्षण केन्द्र को दिया है। जिसमें प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा साल भर समूह निर्माण, ग्राम संगठन अवधारणा तथा निर्माण एवं सामुदायिक संगठन निर्माण का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर दिया जायेगा तथा स्व-सहायता समूह का निर्माण कराया जा रहा है।

आजीविका से जुड़कर सशक्त हुईं महिलाएं

राजगढ़ जिले में सामुदायिक संचालित समुदाय संस्था विकास प्रशिक्षण केन्द्र आमल्याहाट में राज्य योजना आयोग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन, प्रमुख सलाहकार मंगेश त्यागी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनआरएलएम श्री बेलवाल उपस्थित थे। बैठक में म.प्र. के 25 जिलों की स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

शहडोल जिले से आयीं ललीता बहन ने एनआरएलएम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। एनआरएलएम द्वारा गठित समूह में जुड़ने के पश्चात् जीवन में आये परिवर्तन के बारे में अपने अनुभव साझा किये।

मंडला जिले से आयीं शशी बहन द्वारा ग्राम संगठन क्या है इस पर विस्तृत रूप से बताया गया तथा नल जल योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी गई।

शिवपुरी की मुन्नी बाई और सागर की माया रानी ने अपने पति को समूह के माध्यम से बन्धुआ मजदूरी से छुटकारा कराने की बात कही।

राजगढ़ की प्रेमबाई कालीपीठ द्वारा ग्राम में शौचालय निमार्ण तथा मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में बताया गया।

पन्ना जिले की चन्दाबाई ने बताया कि समूह के माध्यम से उन्होने एक सुरक्षा निधि (कल्याण निधि) का निर्माण कर असमय मृत्यु प्राप्त हिताग्राही को आर्थिक लाभ पहुंचाने की योजना बनाई।

तेजूबाई झाबुआ तथा निवेदिता राजा टीकमगढ़ ने सामूहिक रूप से नशाबन्दी के लिये किये गये प्रयासों की जानकारी दी।

विदिशा की सरस्वती बाई, दमोह की प्रवेश बाई वासूदेव, लालताबाई सागर द्वारा ड्रिप सिंचाई, कमर्शियल कार्प और एसआरआई उन्नत कृषि के सफल प्रयोगों से अपनी आय बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गयी। राजगढ़ जिले की कलाबाई द्वारा सामुदायिक सहयोग संगठन एवं ऋण वसूली उपसमिति के बारे में बताया कि उप समितियां किस प्रकार से काम करती हैं और किस प्रकार यह समितियां ऋण वसूली में सहायक हैं।

बड़वानी जिले से आई प्रीति चौहान ने स्वयं की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि एनआरएलएम समूह में जुड़ने के पश्चात् मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आये हैं। मैंने बुक कीपर से अपना काम शुरू किया था। आज मैं समूह के माध्यम से अपनी आजीविका निर्वहन करने के साथ अपनी आर्थिक एवं समाजिक स्थिति में सुधार महसूस कर रही हूं।

इस तरह 25 जिलों से आई महिलाओं के द्वारा अपने-अपने अनुभवों की साझेदारी की गई जिनको सुनकर और अन्य महिलाएं प्रोत्साहित हुईं।

राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन ने अपने सम्बोधन में महिलाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की एवं कहा कि यह परिवर्तन अविश्वसनीय है। इतना अच्छा कार्य इन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, देखकर अचंभित हूँ। शासन से आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ को निर्देश भी दिये। सभी घरों में शौचालय निर्माण हो, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। महिलाओं द्वारा अपनी बैठक के लिये स्थान की मांग करने पर उन्होंने जिला प्रशासन से प्रस्ताव भेजने को कहा।

● **मनोज सिंह**

स्कूल शिक्षा के समग्र पोर्टल को भी मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समग्र शिक्षा पोर्टल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। देश में पहली बार मध्यप्रदेश में लगभग एक करोड़ 60 लाख बच्चों का दस्तावेजीकरण और उसकी ट्रेकिंग बेहतर और प्रमाणिक ढंग से की जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार की इस पहल को राष्ट्रीय-स्तर पर स्वीकार्यता मिली है। स्कॉच डेव्हलपमेंट फाउण्डेशन ने समग्र शिक्षा पोर्टल को स्कॉच अवार्ड-2014 के लिये चयनित किया है। भोपाल में 23 सितंबर को प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस पोर्टल से अब तक लगभग 62 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन को स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती और अन्य अधिकारियों ने यह अवार्ड देते हुए बताया कि फाउण्डेशन द्वारा देश के करीब 50 प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया गया है। मध्यप्रदेश को 5 गोल्ड अवार्ड एवं 15 स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार राज्यों की ग्रेडिंग में मध्यप्रदेश को सर्वप्रथम राज्य, गुजरात को द्वितीय एवं महाराष्ट्र को तृतीय घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों नई दिल्ली के इंडिया हेबिटेट सेंटर में हुए प्रतिष्ठित आयोजन में विभाग को यह अवार्ड दिया गया।

स्कूल शिक्षा विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री जैन ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री की कुशल नीतियों और विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन से बच्चों को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ पात्रता के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिये केवल एक बार छात्र का प्रोफाइल समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि अब बच्चों को विभिन्न योजनाओं के लिये अलग-अलग आवेदन करने एवं कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सभी योजनाओं के लाभ की राशि सीधे बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान की जा रही है।

समग्र छात्रवृत्ति के लिये डेढ़ करोड़ से अधिक बच्चों की मेपिंग

मध्यप्रदेश में समग्र प्लेटफार्म के जरिये समेकित छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन के लिये अब तक एक करोड़ 60 लाख में से एक करोड़ 55 लाख बच्चों की मेपिंग हो चुकी है। सभी जिलों में यह कार्य पूर्णता की ओर है। अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा श्री एस.आर. मोहंती विभागीय अधिकारियों के साथ निरंतर इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। समग्र छात्रवृत्ति के लिये प्रदेश सरकार विशेष प्रयास कर रही है।

मेपिंग हुए बच्चों में से लगभग 78 लाख को छात्रवृत्ति वितरित करवाने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य शासन ने छात्रवृत्ति की स्वीकृति में गति लाने के निर्देश जिलों को दिये हैं। छात्रवृत्ति वितरण का अनुमानित 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य समय-सीमा में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मध्यप्रदेश में समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से डेढ़ लाख शासकीय और अशासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित करवाई जा रही है। इसके लिये स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की विस्तृत जानकारी जुटाई गई है। समग्र पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की डाइस कोडवार शाला से मेपिंग करवाकर छात्रवृत्ति के लिये पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर पोर्टल द्वारा सीधे विद्यार्थी के खाते में भुगतान किया जा रहा है। छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग इस दिशा में तेजी से कार्यवाही कर रहा है। समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन कार्यक्रम में विद्यार्थियों को एक बार ही आवेदन तथा एक ही बार जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित करवाकर जमा करवाना होगा। राज्य सरकार की इस महती योजना से अब पात्र हितग्राही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये यहाँ-वहाँ नहीं भटकना पड़ रहा है। भविष्य में पाठ्य-पुस्तकें, गणवेश और साइकिल वितरण की योजना का क्रियान्वयन भी समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से होगा।

परफॉरमेंस ग्रांट राशि से बनेगी पंच परमेश्वर योजना की सड़कें

मध्यप्रदेश शासन के पंचायत राज संचालनालय द्वारा 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत परफॉरमेंस ग्रांट निधि से पंच परमेश्वर योजना के तहत गांवों में आंतरिक सड़क (सी.सी. रोड) बनाने के लिये राशि जारी की गई है। परफॉरमेंस ग्रांट से सभी जिला पंचायतों को एक-एक करोड़ और सभी जनपद पंचायतों को पचास-पचास लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेश का यथावत प्रकाशन मध्यप्रदेश पंचायिका में किया गया है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899)
(E-mail : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पंचा./नि.-89/2014/11814 **भोपाल, दिनांक 20.10.2014**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-समस्त (म.प्र.)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत-समस्त (म.प्र.)

विषय - 13वां वित्त आयोग अंतर्गत परफॉरमेंस ग्रान्ट की प्रदाय राशि एवं पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत ग्रामों में आंतरिक मार्ग (सी.सी. रोड) के कार्य स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ - संचालनालय का पत्र क्रमांक 8956 भोपाल दिनांक 20.08.2014 एवं पत्र क्र. 11752 दि. 17.10.2014।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से 13वां वित्त आयोग अंतर्गत परफॉरमेंस ग्रान्ट की प्रदाय राशि (जिला पंचायतों को रु. 1.00 करोड़ एवं जनपद पंचायतों को रु. 25.00 लाख) एवं पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत उपलब्ध राशि से ग्रामों में आंतरिक मार्ग (सी.सी. रोड) के कार्य स्वीकृत करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त के संबंध में लिये गये प्रशासनिक निर्णय के अनुसार 13वें वित्त आयोग अंतर्गत परफॉरमेंस ग्रान्ट (जिला पंचायतों को रु. 1.00 करोड़ एवं जनपद पंचायतों का रु. 25.00 लाख) एवं पंच परमेश्वर योजना में उपलब्ध राशि से आंतरिक मार्ग (सी.सी. रोड) निर्माण कार्य स्वीकृत करने हेतु सर्वप्रथम तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति पंचायत पोर्टल (पंचायत दर्पण) पर अपलोड कराते हुए कार्य प्रारंभ कर दो माह में पूर्ण करावें तथा कार्य की सूची एवं की गई कार्यवाही से संचालनालय को अवगत कराया जावे।

मनरेगा से अभिसरण करने की बाध्यता को समाप्त किया जाता है। यदि पूर्व में आंतरिक मार्ग (सी.सी. रोड) निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मनरेगा से अभिसरण करते हुए दी गई है तो उसे पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर परफॉरमेंस ग्रान्ट अथवा पंच परमेश्वर योजना की राशि से स्वीकृत किया जा सकता है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

पंचायत सचिवों के महंगाई भत्ते में सात फीसदी की वृद्धि

मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों और पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्गों के वेतन में देय महंगाई भत्ते में सात फीसदी की वृद्धि की है। इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2014/नियम/चार **भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014**

प्रति,

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय :- पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों के महंगाई भत्ते में 7% की वृद्धि।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2014/नियम/चार, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को दिनांक 01 जनवरी, 2014 से वेतन बैण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग पर 100% की दर से महंगाई भत्ता देय था।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को वेतन बैण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग पर निम्नांकित तिथि एवं दर से महंगाई भत्ता दिया जावे :-

अवधि जब से देय	मंहगाई भत्ते का प्रतिशत
दिनांक 01.07.2014 से (माह जुलाई, 2014 का वेतन जो माह अगस्त, 2014 में देय होगा)	107%

2/ मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(मिलिन्द वाईकर)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग